will happen and even today with the announcement of the Prime Minister with his disarming frankness, there is no concrete programme, only philosophy. Then it makes it clear, it makes it explicitly clear that the problems of unemployment is going to remain with us for the coming decade, perhaps it is going to become more and more accentuated in the coming period. In the circumstances, I do not want to propose anything new. All that I want to propose is: have confidence in the people (*Interruptions*) Do not shout. I will not be shouted down. It will not solve the problem. Sir, I have confidence in the people.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: People have no confidence in you.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : People reposed confidence in you. My hon. friend Mr. Mishra will not dispute the fact that we heard for the last five years about the massive mandate which Mrs. Gandhi got from the people. Today Congressmen are not sitting there. Let him not forget that lesson. If you follow the same path and betrary the confidence bestowed in you by the people, I am sure you will face the same calamity, the same tragedy which the Congress Party and Mrs. Gandhi had faced. In 1971 Mr. Morarji Desai came into this House with a strength of 12 Members; he was sitting behind. But that was not the end of history; that was not the end of the story. Today he is Prime Minister. Let everybody keep that lesson in mind. Those who betray the confidence bestowed by the people will not be pardoned by history; they will be thrown into the dustbin of history by the people; let everybody including Prof. Dandavate remember that. Yesterday the esteemed Prime Minister told me that I was a pessimist. I am not a pessimist. I again wish him success, I do not want to press my motion to a vote, not that I will not get votes here. I will get votes from this side. Many will press the red button there with a pricking conscience. Yet I do not want to press my motion to a vote because I am giving you time. I am patient. Outside we will mobilise people. On the 2nd of next month, hundreds of young persons will come here, unemployed people from all over the country, and discuss the problem of unemployment. I hope you will find time to receive a delegation from them so that they can put forward their suggestions.

श्री एच॰ एल॰ पटवारी (मंगलदाई): आप के म.थ संजय गांधी आयेगा ।

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Do not repeat the mistakes of Sanjay Gandhi. I conclude by saying that I wish him well again. Still I have my doubts whether you will succeed. The capitalist path had been pursued and many people went ahead through that path; many wisemen with boldness and more resources and power went through that path and every one of them perished. The only solution to this problem is, let me say once again, socialism.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are two amendments. He wants to withdraw. Has Shri Hukmdeo Narain Yadav leave of the House to withdraw his amendments.

SOME HON. MEMBERS : yes.

Amendments Nos. 1 and 2 were by leave withdrawn

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I have already said in my speech that I want to withdraw my resolution.

MR. DEPUTY SPEAKER : Has Shri Jyotirmoy Bosu leave of the House to withdraw his resolution ?

SOME HON. MEMBERS : Yes .

The motion was by leave withdrawn.

MR. DEPUTY SPEAKER : Has Mr. Chandrappan leave of the House to withdraw his resolution ?

SOME HON. MEMBERS : Yes.

The motion was, by leave, withdrawn.

15.04 hrs.

MOTION RE: TWENTIETH, TWENTY-FIRST AND TWENTY-SECOND REPORTS OF THE COMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): On behalf of Shri Charan Singh, I beg to move the following:

"That this House do consider the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976, respectively."

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): On a point of order, Sir

[Shri Hari Vishnu Kamath]

Why should he move it on behalf of the Home Minister ? Has he taken your permission ? Is he a proxy or stepney minister ?

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon) : The Home Minister was here just now !

PROF. MADHU DANDAVATE: He was here. He was not feeling well and he has gone out for a few minutes.

MR. DEPUTY SPEAKER: He has taken my permission. I have given him permission.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन की यह परिपाटी रही है कि जब यहां शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्ट पर डिबेट होती थी, तो गवर्नमेंट द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट भी उस के साथ दी जाती थी। पहले 1966 तक ऐसा किया जाता रहा, और फिर 1972 में यह तय हो गया कि गवर्नमेंट द्वारा जो एक्शन लिया जाएगा, उस की रिपोर्ट भी संसद को उपलब्ध की जाएगी। मंत्री महोदय आज 1974 तक की रिपोर्ट्स बहस के लिए पेश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है, उस की रिपोर्ट हमें नहीं दी गई है। जब तक वह रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आती है, तब तक इस विषय पर बहस करने का कोई मतलब नहीं होगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Actually we are now discussing the reports. It is not necessary that we should have the copies of the action taken reports. It is not statutorily reguired. You may refer during the debate to the action taken or not taken.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : What about substitute motions ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hon. members whose substitute motions to the Government Motion have been circulated may, if they desire to move their substitute motions, send slips to the Table within 15 minutes, indicating the serial numbers of their substitute motions they would like to move.

The time allotted is 12 hours.

SHRI HITENDRA DESAI (Godhra): Sir, we are discussing three reports together—20th, 21st and 22nd reports—covering four years. As was very rightly pointed out—it may not be a point of order, but it is certainly a point for the Government and the House to consider that there is no statement of the government indicating what action has been taken on the recommendations made in these reports. We would like to know whether there are statements indicating acceptance or rejection of these recommendations.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, order There is too much noise in the House. Those who want to leave may leave silently.

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : सभापति महोदय, आवाज नहीं आ रही है।

श्री हितेन्द्र देसाई : आ जायेगी, आप जरा शान्त रहें।

चौधरी बलबीर सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अगर आवाज ठीक नहीं आ रही है और कोई मेम्बर कहता है तो यह हंसी में उड़ाने की बात नहीं है। आप सिस्टम को ठीक करिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी यही अर्ज कर रहा था कि आप जरा बार-बार उठ कर आवाज न करें तो आपको सुनाई पड़ेगा।

SHRI HITENDRA DESAI : I will straight go to the last Report and the second Report. And before discussing the various details, I will refer to a survey made by the Madhya Pradesh Harijan Sewak Sangh, *vide* page 182 of the 22nd Report. They had a *padayatra* for 21 days in 527 villages of 11 districts in Madhya Pradesh. The names of these districts are given in the foot-notes. I will not take much time in a detailed investigation of it. It is very revealing that so far as entry into the temples was concerned, out of 527 villages, 140 villages

had no temples. Out of 437 villages, in 217 villages Harijans had no access to the temples.

So far as taking tea at the stalls was concerned, only 38 villages were there where Harijans were allowed to take tea. 124 villages denied Harijans even an entry into the tea stalls. If you go a little further, so far as barbers' services were concerned, out of 527 villages, only 49 villages catered to the needs of the Harijans in this regard. In regard to washermen's services, out of 527 villages, only 31 villages catered to that need. As far as equality of social status in the panchayats was concerned, the *padayatra* survey says that only in 299 villages was there equality of status for the Harijans.

This is the situation that prevailed not only in Madhya Pradesh, but in many parts of this country. I would now refer to an incident mentioned at page 187 about atrocities on Harijans. There are a number of incidents quoted there. I am picking up an incident which occurred at Ranmalpura village in the district of Surendragarh in the Saurashtra region of Gujarat. The incident took place on 22-6-1974. I will not give many details about it. I have personal knowledge of these incidents. As the wells from which the Harijans were taking water had dried up, they were using another common well: and the village people did not like that Harijans should use that well. (*Interruptions*). During the period of these reports, Congress government was not there; but I am not discussing this from that angle at all. I do not wish that the House should discuss it from that angle. On 22-6-1974 there was some quarrel between the women-folk of Harijans and caste-Hindus. The women-folk of caste-Hindus were enraged and they informed their menfolk; and after receiving that information, practically the whole village, armed with 'dharas', and lathis and other weapons, rushed towards the Harijans. They even saw to it that the houses were set on fire. 2 Harijans were killed, and they practically made a hell of that incident. As my hon. friend, Shri Kamath, was asking I may say that I was not in the Congress at that time; I was in the opposition. I went to that village Ranmalpura and I was happy that the leaders of all political parties went there. As it was under Rashtrapati Shasan the Governor went there immediately, the next day, and tried to solve some problems.

श्री नाथू सिंह (दौसा) : इसीलिए क्या आप कांग्रेस में चले गए ?

SHRI HITENDRA DESAI : If you want to know, I will tell you on some other occasion.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आप अपनी और उनकी उम्र का खयाल कीजिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Reddy, I think Mr Hitendra Desai can reply to that.

SHRI HITENDRA DESAI: I am referring to this incident to show that atrocities have been there. There is no denying that. It is futile to discuss it on a political plane. Let us also, so far as this problem is concerned, try to look at it and try to grapple with this problem rather from an all-party point of view. My point is, when the Governor himself went there after the incident, he could pacify the Harijans. I could see for myself that the Harijans were pacified. I am quoting these two incidents, to start with, to show the real picture that exists in this country even today; not only during 1974 but even today. There is no much difference, so far as prevailing conditions are concerned.

I am worried about a certain trend which has taken place today. To start with, I will refer to this trend also. We are dealing with a population of 8 crores, according to the 1971 census, plus 4 crores of Scheduled Tribes. As rightly pointed out, the first report, the 20th Report, was presented to the House on 11-5-73. The second report was presented on the 28th August 1974. The last report was presented to this House on the 5th May 1976. And yet, I do not know whose fault it is, whoever is at fault, the fact remains that they were not discussed till today, that they are being discussed today. They are so late after the events, because those events happened almost 6 to 7 years ago. A remark was made "your Government". But that is not the point.

PROF. R. K. AMIN (Surendranagar) What is the point?

SHRI HITENDRA DESAI : I am coming to that. Why do you worry?

Shri Amin need not feel disturbed.

[Shri Hitendra Desai]

Therefore, even today we can say, even in those reports, presented so early, there are no statements of Government with regard to action taken by them on various recommandations. I tried to make a search in the library, I must frankly admit, and I got one statement about the 21st Report. We do not know what action has been taken on the various recommendations of the 22nd Report. Even today we do not know whether the Government have received reports for 1974-75 and 1975-76; of course, not for 1976-77. This shows the attitude of Government, not merely of this Government, but of all Governments.

When the budget was being discussed we were told that the annual Plan would be now raised by more than 25 per cent. I tried to get an idea of the provisions made for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the budget. The House would be pleased to know that in 1976-77, the Plan provision for the welfare of Scheduled Castes was Rs. 17 lakhs. In the present budget it is Rs. 20.50 lakhs. The revised estimates for 1976-77 was Rs. 24.85 lakhs. So far as the welfare of Scheduled Tribes is concerned, the revised estimate of 1976-77 was Rs. 27.71 lakhs. In the current year it is Rs. 29.66 lakhs. The total provision for the welfare of scheduled castes and scheduled tribes and other backward classes in the present Budget is Rs. 1,60,63,000 against Rs. 144,86,000 earlier. There is no improvement worth the name. That is exactly what I am driving at. We could have certainly expected more provision to have been made in the present Budget inasmuch as even the corresponding increase in the various sectors is not taken care of.

Another trend which is disturbing is that there is practically an incomplete Council of Ministers and that there is no representation to the scheduled castes and scheduled tribes in it. We do not count the Defence Minister as representing the scheduled castes as, after all, his stature is very high. In the last Cabinet I understand that out of 60 Ministers, eleven represented the scheduled castes and scheduled tribes. I am sorry to say that in the present Cabinet, barring the Defence Minister, there is not one person who represents the interests of the scheduled castes and scheduled tribes. This is relevant for this reason that even the founding fathers of the Constitution envisaged certain things. For instance, article 164 of the Constitution lays down:

> "The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor:
>
> "Provided that in the States of Bihar, Madhya Pradesh and Orissa, there shall be a Minister in charge of tribal welfare who may in addition be in charge of the welfare of the Scheduled Castes and backward classes or any other work."

So it is very necessary, and I am making this constructive suggestion, that there must be a Minister who is in charge of the welfare of the scheduled castes and scheduled tribes. Now that we know that the Ministry is being expanded, I hope Government will consider this aspect also.

Another important trend which is worrying us all is the number of incidents involving Harijans. I am not merely referring to the number of incidents, and it would be very unwise to compare in numbers this immense problem about which every body is worried. We know for certain that exactly two months ago, on the 27th of May, practically at this hour or a little earlier, from 12 to 3 p.m., a very ghastly incident took place at Belchi. The Home Minister was pleased to make a statement in the House in which he said that after all it was something of a fight between two gangs of criminals. Then discussion took place in this House and in the Rajya Sabha also, and there is some consolation because the Home Minister later clarified or rather improved upon his earlier stand. This is what he said in the Rajya Sabha:

> "The dastardly incident was so grave that the Minister has no words to express his anguish over it. The Janata Party was determined to end such atrocities and see to it that the weaker sections of the society received justice. There might be certain economic reasons in the occurrence of such incidents, but the social malady of casteism with which our society was afflicted was the main reason behind such cases of atrocities and injustice."

He very clearly admits that position that the Belchi incident was not merely a clash between two gangs of criminals

it was something where the Harijans were oppressed. That point has been taken.

We are grateful to the various Members of Parliament who really visited that place. And I am proud to say that the Members belonging to all parties particularly that Committee was headed by the Secretary of the Janata Parliamentary Party and there were 7 other Members of whom three were from the Janata Party two from the Republican Party and two from the Congress Party: it was an all-party committee—have come to the following conclusion :

"The fact-finding Committee of MPs on massacre of Harijans in Belchhi in Bihar has found that the Home Minister, Mr. Charan Singh's statement, based on the report of the State Government, that the incident was the result of a clash between two groups of hardened criminals was "totally false".

The Committee has also held that the Government version that the gruesome murders were not based on caste and social inhibitions was "totally incorrect".

I will not read the whole of it because of shortage of time. At the end, it says:

"We are of definite opinion that the police were in league with the culprits and deliberately delayed their arrival to the village so that the culprits may accomplish their misdeed. The reported statement of the Bihar Government that there was a clash between two groups of hardened criminals having long standing rivarly is totally false."

I am quite sure all the Members of this House will speak on this subject. But I would very strongly urge on the Home Minister to institute a judicial inquiry into the incident because in the Rajya Sabha he has said:

"The Centre had suggested to Bihar Government that action should be taken now. There was the popular Government there. They had already appointed a committee consisting of Members of the Assembly. The Centre has urged the State Government to institute a judicial inquiry in to the incident."

Even thereafter, I have got a number of press cuttings. If I merely make a mention of them, it will take a long time of the House. Even reports coming from different parts of the country especially from UP, are, to say the least, alarming.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): The percentage is higher in M.P.

SHRI HITENDRA DESAI: I am glad that the Home Minister has given the percentage. I have never said at any point of time that there was no incident. I quoted an incident which has occurred in 1974 when the Janta Party was not in power. So, it is not the question of percentage but what attitude do we adopt. There was another incident in UP where after the party victory, the landowners have started troubling landless people. I do not want to quote in detail for want of time. But it is very clear that incidents have been taking place. The percentage may be less or more.

Lastly, I will refer to another incident which took place in Ramnagar village in Gorakhpur District on July 10. It was interesting to read the debate in the Assembly where an adjournment motion was tabled by Shri Chaudhari, a Janta Party Member and there was a debate on that. In the press report it is said:

"The Janta Party member, Mr. Chaudhari, informed the House that a 'Yadava' youth accompanied by two sub-inspectors of police and other police personnel of the Maharajganj Police Station, arrived in the Ram Nagar village on July 10...."

Mr. Chaudhury further said:

"After all the crops were cut, houses set on fire, the police thereafter lathi-charged the Harijans and also fire shots in the air to scare them. In all, 45 Harijans including 20 women sustained injuries some of them seriously. 11 Harijans including a 12-year old boy returning from school at that time were taken to the Maharajganj police sation and further beaten up by the police."

"It is a matter of shame for the Government", he said.

I think, the Government instead of comparing the earlier figures should immediately try to inspire confidence amongst specially the weaker sections of the Society. I would suggest the appointment of a Judicial Commission to investigate and inquire into the various incidents which have taken place in the last several months. That is my main suggestion. I will discuss other aspects so far as this Report is concerned. At this stage, I want to make some sug-

[Shri Hitendra Desai]

gestions for the hon. Minister to consider. Firstly, I have said about the appointment of a Judicial Commission. Secondly, I have also said about giving the charge of the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to a full-fledged Minister. Thirdly, I would recommend a separate Commissioner for Scheduled Castes and a separate one for Scheduled Tribes. I would very earnestly request the hon. Minister to bifurcate this post. Let us have two separate Commissioners, one for Scheduled Castes and another for Scheduled Tribes separately.

The hon. Minister is an experienced administrator. We have also experience of that. We know that the problems of Scheduled Castes are not the same as the problems of Scheduled Tribes. Their economy is different; their problems are different. I think, it will satisfy the sentiments of this House and the sentiments of all people with whom I have come in contact if we have two separate Commissioners, one for Scheduled Castes and another for Scheduled Tribes.

Now, I come to the actual Report. There are three Reports. Practically, the problems are the same and, for the sake of convenience, I will mainly refer to the last Report, the Twenty-second Report for the year 1973-74. Apart from the atrocities and untouchability to which I have referred, the main problem which we want to tackle and which we have been tackling so far is from the education point of view. If you refer to page 75 of the Report, you will find that so far as primary education is concerned, which is the main concern of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the enrolment is extremely poor. I will take the latest figures of 1973-74. As regards Classes 1 to 5, in the case of Scheduled Castes, it is 68·9 per cent and in the case of Scheduled Tribes, it is 59·3 per cent as against 90 per cent enrolment in the general sector. As regards Classes 6 to 8, the general enrolment is 40·4 per cent whereas in the case of Scheduled Castes, it is 22·1 and in the case of Scheduled Tribes, it is 15.7 And for classes IX to X, it is 25·4 per cent for the general, 11.5 per cent for the SC and 7·9 per cent for the ST. Scheduled Tribes are the worst, so far as education is concerned. Therefore, we have to go a long way even for universalisation of primary education and specially the attendance of girls has been very poor.

We can particularly see the problems of the tribals. The problems of the ST are very special problems and unless some special attention is given, these special problems will not be solved. From our experience in the various States, especially in Gujarat, Maharashtra and Andhra Pradesh, there have been ashram type schools or what we call ashram schools. About it, a statement is given on page 29 of this Report. I am not going to read it out for the purpose, but it is clear that the States of Andhra Pradesh, Gujarat and Maharashtra have faired much better than the other States. I would very earnestly request the Home Minister to consider the extension of these facilities where they are not available.

From our own experience, we find that the normal primary schools are not adequate enough for these tribals. These tribals have their own problems. Even their children have to work. About the ST persons, unless some residential schools and more and more funds are made available, you will not be able to spread education, so far as SC & ST are concerned. In Gujarat and Maharashtra, some of these ashram schools have been managed by private agencies, by persons who adopt constructive and Gandhian outlook.

AN HON. MEMBER: That is purely for the Harijans.

SHRI HITENDRA DESAI : It is mainly for the tribals. For instance, in an area like Danges, if you go there even today, you will not find whether any civilization exists there. For the normal schools, the dialects is different. The teachers will have to be trained in that dialect. The education will have to be given in that dialect. All these problems are there. It is not possible for me to go into all these questions, but I am particularly emphasising the recommendation which the Commission has made in this Report about the extension of these facilities. I would only refer to one paragraph which is on page 79. The only recommendation is that more and more ashram schools should be there. Similarly, a provision for the mid-day meal should also be there, because after all they are very poor in diet. The nutrition is not good and even for giving them incentives, this mid-day meal arrangement has been successful in both the States.

So far as scholarship is concerned, the main complaint has been about the delay, and on page 86 of the Report, the recommendation of the Commission is there. All attempts should be made to see that those who are entitled to scholarships get them without any delay, without any lengthy procedure.

AN HON. MEMBER: And in time.

SHRI HITENDRA DESAI: Of course, in time also. Then girls' hostels are absolutely necessary considering their life, their utter poverty and utter ignorance. You must have girls' hostels and the Commission's recommendation is there on page 81 of the Report. That is the very reason why I have raised an objection that unless we know whether the Government has taken any action on this recommendation, how can we say whether there is any improvement or not. That is the main point. I hope we will be able to know when the Home Minister will reply to our debate. I think he will agree; he will not bring politics, so far as these educational problems are concerned and see that the welfare activities of the Harijans and the Adivasis should be properly nurtured. There is one small point about the voluntary agencies. Some of the voluntary agencies are very good. But our only anxiety has been that, of late, some politics has gone into these. We must have a healthy practice of seeing that, so far as these activities are concerned, the voluntary agencies should be above political considerations. Then only we will be able to reap full benefit out of these.

Then I come to another question, a very vexed question, which has been discussed in this House off and on. I would not have much time to discuss it. I am referring to representation in the services of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. For recruitment made by open competition on an all-India basis, the reservation for Scheduled Castes is 15 per cent and that for the Scheduled Tribes is 7.5 per cent; in respect of recruitment in other cases, the reservation for the Scheduled Castes is 16·66 per cent and that for the Scheduled Tribes is 7.5 per cent. On page 97 of the Report, the statement is really illuminating. Only the day before yesterday, I think, the Railway Minister was very eloquent about what steps he had taken about recruitment to railway services, but he cleverly evaded the question as to what percentgage has been getting employment in the Railways. This is the statement; I will read the last year's figures. But before that, I would read from the latest statement published in the Annual Report of the Home Ministry, 1976-77, which was presented at the time of Budget discussion because that would give us the latest picture. There we find that, in 1976, the percentage employed in the case of Scheduled Castes in Class I—the reservation for the Scheduled Castes is 15 per cent and that for the Scheduled Tribes is 7.5 per cent; that norm, we have to keep in mind—was 3.46. The Railway Minister never gave these figures. Class II 5·41 per cent; Class III 11·31 per cent. I am reading from page 38 of the Report for 1976-77 of the Department of Personnel and Administrative Reforms. So far as the Scheduled Tribes are concerned, the picture is completely dark: the percentage of Class I employees is 0.68 per cent in 1976; Class II 0.74 per cent; Class III 2·51 per cent. This is the position.

15·48 hrs.

[SHRI SONU SINGH PATIL *in the Chair*]

We have seen that not a day passes when Members are not anxious to know what exactly is the reservation percentage in the services. So far as IAS and IPS are concerned, the position is much worse. The Members may refer to page 39 of the same Report; I am not reading that for want of time.

Therefore, the position of the Scheduled Castes is bad and that of the Scheduled Tribes is much worse. Yet, as I was pointing out at the preliminary stage, the attitude of the Government, the attitude of those who have to employ them is hardly sympathetic. That is where we make a grievance of it.

Then I come to the public undertakings. There are a number of public undertakings; if I refer to them, I will take at least half an hour. I am not referring to that; some other hon. Members will do that.

The position about the LIC, Food Corporation, Railway etc. has been indicated in the report in a very exhaustive manner, so far as that aspect is concerned. From that it is clearly seen that even today those who are incharge, including the Government, I must say, are not quite serious to the problem. They do not see that something extraordinary has to be done if these quotas are to be properly filled in.

So far as the recruitment is concerned, I will lastly come to another suggestion which I am making to this House and to the hon. Home Minister, that he should specially try to create a cell, some machinery, which looks to the grievances of the scheduled castes and scheduled tribes in this respect and redresses them. Only then, the welfare of the scheduled castes and scheduled tribes can be taken care of. I will go a step further. Apart from the Public Undertakings, State Government and Central Government offices, even the private undertakings should be compelled to see that sufficient men of scheduled castes and scheduled tribes are employed

[Shri Hitendra Desai]

by them. The Commissioner has made certain very valuable suggestions in this regard on page 163 of the report:

"It is however, suggested that the Ministry of Industrial Development might consider the desirability of issuing suitable instructions to various employer organizations indicating the broad features of the scheme of reservation for scheduled castes and scheduled tribes and make it obligatory on the part of the various industrial, commercial private undertakings to implement the same."

This is also a very important point. The recommendation has been made in the report itself.

PROF. P. G. MAVALANKAR: (Gandhinagar): How to do that?

SHRI HINTENDRA DESAI: It is for the Government to come to some conclusion. It is not I who made this recommendation. It is already there in the report.

Much can be said about the representation of the scheduled castes and scheduled tribes on services, but I am quite sure, other hon. Members will take it up.

Another important question is about the land and forests. A lot of land has been distributed. Land reforms should be implemented promptly. Apart from that, the forest policy should be such that the tribals are involved in that and that will only save the forests from destruction.

About the housing problem, there has been a scheme for the allotment of house sites to the landless. I understand that 73 lakhs of house site have been allotted. Some construction work has also been going on. More and more provision should be made so far as the housing for the Harijans and scheduled castes and scheduled tribes is concerned.

Lastly, some progress has been made in the last few years. But much remains to be done and it will be the endeavour of all members her to see that at least we reach our goals in the near future about economic and social equality. It was, I think, Dr. Ambedkar who said before the passing of the Constitution, that we will be living in contradictions, contradictions in the sense that in the political arena we will have one man-one vote and one vote-one value but that it is not so in the case of economic and social spheres. Unless we do that, I am quite sure that even the big democratic structure which we have laboriously built in this House and outside is also likely to be blown off if we are not able to reach that goal. It is from that angle this aspect is important.

There are many others who want to speak. Therefore, I conclude by thanking you and the House for giving me this opportunity.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): I beg to move:—

That for the original motion, the following be substiuted, namely:—

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976, respectively, recommends that the "BHATTARAS" in District Kalahandi of Orissa be recognised as BHOTTADAS as per item No. 5 in the Scheduled Tribes Order of 1950 as amended in the year 1956." (1)

SHRI S. KUNDU (Balasore : I beg to move:—

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House, having considered the Twentieth, Twnry-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976, respectively, resolves that in case of formation of a Civil Rights Commission care should be taken to see that the constitutional protection given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is further strengthened." (3)

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV (Saharsa): I beg to move:—

That for the original motion, the following be substituted, namely:

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976 respectively, recommends to the Government that the action on the Reports be taken within one month and suitable action be taken against the officials responsible for the delay in the implementation of the recommendations contained in the Reports." (5)

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): I beg to move:—

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976 respectively, notes the failure on the part of the present Government to take effective steps to prevent atrocities on Harijans during the last four months and requests the Government to order a judicial probe into such atrocities on Harijans; provide social security and implement the recommendations of the Commissioner for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes without further delay." (6)

SHRI B. RACHIAH : (Chamarajanagar) I beg to move:—

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976 respectively, urges the Government to implement recommendations of the Conference of the Ministers of all the States incharge of Social Welfare and Backward Classes under the Chairmanship of the Minister of State in the Union Ministry of Home Affairs and to set up a judicial commission to inquire into the cases of social injustice harassment and atrocities committed on the Harijans and Adivasis during the last four months". (7)

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : (Quilon) : I beg to move:—

That for the original motion, the following be substituted, namely :-

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May 1973, 28th August 1974 and 5th May, 1976, respectively, recommends that the date of bringing into effect the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, be notified without any further delay." (9)

SHRI P. K. KODIYAN (Adoor) : I beg to move:--

That for the original motion, the following be substituted, namely:--

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976 respectively, recommends that firm and effective steps be taken immediately to put an end to violence and atrocities perpetrated against Harijans in several parts of the country." (10)

That for the original motion, the following be substituted, namely--

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976 res-

[Shri P. K. Kodiyan]

pectively, recommends that the steps be taken to strengthen and expand the organisation of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes so as to enable it to discharge its responsibilities in more effectie manner." (11)

That for the original motion, the following be substitutd, namely:—

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for for the years 1970-71, 1971-72, and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976 respectively, recommends that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 be immediately enforced." '12'

SHRI L. L. KAPOOR (Purnea) : I beg to move :

That for the Original motion, the following be substituted, namely:—

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the eyears 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976 respectively, recommends that:—

(a) a separate Ministry should be created for the protection of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes and the recommendations made by Kaka Kalelkar Commission, 1955 on Backward Classes Should be accepted and the work relating thereto should also be entrusted to the aforesaid Ministry.

(b) the present schedules of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes should be enlarged and the recommendations made in the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be implemented within a definite period, at the most 5 years, and the steps taken in that direction as well as the outline of the time-bound programme should be placed on the Table of the House in the next session;

(c) the appointment and promotion of the members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes on the various cadres in the Government and semi- Government establishments should be made in proportion to their population;

(d) these communities should be given preference in respect of various facilities provided by the Government for removal of economic dispartries such as financial assistance, licences, permits, quotas, contracts, lease etc;

(e) if any particular community is engaged in a profession or vecation, time- bound schemes shoui be prepared to carry on and develop that profession through provision of ficilities and rights connected therewith ; and

(f) the traditional culture, music, drama and other arts of these communities should be preserved and special efforts should be made to develop the same ; and the details of the progress made in the implementation of the above should be laid on the Table every six months." '19'

SHRI G. S. REDDY (Miryalguda) I beg to move:

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House having considered the Twentieth, Tewenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Trives for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74 laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976, respectively, urges the Government to set up a Commission to enquire into the condition of the converts to other religions from the Scheduled Castes origin with a view to determining the desirability of extending economic and educational benefits from the point of view of backwardness and other disabilities suffered by them." '23

SHRI B. C. KAMBLE (Bombay South-Central) : I beg to move :

That for the original motion, the following be substituted, namely :--

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May 1976 respectively, regrets only the partial implementation of Constitutional safeguards provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward Classes and Anglo- Indians by the previous Congress Government leaving most of the safeguards not fully implemented and thus bringing the Constitution of India into contempt and resolves to invest the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes with necessary powers to get those safeguards implemented, wherever they have remained partially or fully unimplemened, by taking up these matters with the Government."(24)

That for the original motion, the following be substituted, namely :-

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid, on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976 respectively, recommends to the Government to set-up such suitable machinery as to ensure full implementation of the Constitutional safeguards provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward Classes, and Anglo-Indians together with the backlog by a time-bound Programme and that machinery should jointly work with the Committee for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes elected by Lok Sabha!".(25)

SHRI A. K. ROY (Dhanbad) : I beg to move:--

That for the original motion, the following be substituted, namely :--

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976, respectively.

(a) regrets the denial of admission to the Central Hospital, Dhanbad to the Harijan sweepers, though employed in the collieries, for treatment ; and

(b) demands an enquiry by a Parliamentary Committee into all the atrocities committed on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Dhanbad coal field for the last two years." (26)

That for the originl motion, the following be substituted, namely :-

"This House, having considered the Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74, laid on the Table of the House on the 11th May, 1973, 28th August, 1974 and 5th May, 1976 respectively, *recommends to the Government to* set-up suitable machinery to stop planned elimination of the Harijans and Adivasis from the employment in the collieries after nationalisation and to declare the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the colliery employmenton the date of nationalisation as the datum level." (27)

श्री सूरज भान (अम्बाला) : सभापति महोदय, पिछले छ: सालों में कमीशन की एक भी रिपोर्ट इस हाउस में डिस्कस नहीं हुई। मैं गृह मंत्री जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वह इस मोशन को हाउस में लाये और हमें मौका मिला कि हम इस रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। छ: साल में एक भी रिपोर्ट डिस्कस नहीं हुई और आज हमारे सामने तीन रिपोर्टें हैं 1971-72 और 73 की। उसके बाद की तीन रिपोर्टें तो सबमिट ही नहीं हुईं। 74, 75 और 76 की रिपोर्टें आई ही नहीं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों वह सबमिट नहीं हुई? डिस्कशन की बात तो बाद में देखी जायेगी। वह अभी तक आई ही नहीं।

[श्री सूरजभान]

इस वक्त भी देश में कुछ एट्रोसिटीज हुई हैं हरिजनों पर, खास तौर से बिहार, यू० पी० और आंध्र प्रदेश में। मैं इन सब अत्याचारों की निन्दा करता हूं। खास तौर में जो बेलछी में हुआ वह घिनौना काण्ड है। मैं उसकी निन्दा करता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ मित्र हैं जो इस घिनौनी घटना का सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके लिए जनता पार्टी जिम्मेदार है और कुछ लोग कहते हैं कि जनता पार्टी में भी होम मिनिस्टर इसके लिए जिम्मेदार हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। मैं उन से पूछना चाहता हू और बताना चाहता हूं कि 1973–74 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में दो हरिजन जो नये तौर पर बुद्धिस्ट बने थे उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 6 जुलाई 1973 को जिला सहर्षा के मधुबन गांव में चार हरिजन महिलाओं को नंगी करके जुलूस निकाला गया था और उसके बाद लोहे की सलाखें गर्म करके उनके जिस्म को दागा गया था। उसके लिए तो चौधरी चरण सिंह जिम्मेदार नहीं हैं। आंध्र प्रदेश में एक हरिजन नौजवान को एक दरख्त के साथ रस्सी से बांध कर उसके कपड़ों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई थी। उसके लिए तो चौधरी चरण सिंह जिम्मेदार नहीं है। 1969 में तमिलनाडु के तन्जौर जिले के किलवैनमनी नामक स्थान पर 42 हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया जिसमें छोटे बच्चे, औरतें और नौजवान सभी थे। बदकिस्मती की बात यह है कि जब वह केस हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट का एक बदकिस्मत फैसला आता है। हाई कोर्ट के फैसले में यह बात दर्ज है कि ऊंची जाति के आदमी ऐसा गुनाह नहीं कर सकते और वह सब के सब आदमी बरी हो गये, क्या उसके लिए भी चौधरी चरण सिंह जिम्मेदार हैं? और पीछे नहीं जाता, 1974 की बात है गाजियाबाद के पास एक गांव है जिस में एक हरिजन नौजवान को आग जलाकर उसके हाथ-पांव तारों से बांध कर आग के ऊपर लटकाया गया और झुलस दिया गया। कमिश्नर की रिपोर्ट के अलफाज मैं आपको सुनाना चाहता हूं, यह उसकी इक्कसवीं रिपोर्ट है 1971 से 1973 तक की। उसका केवल एक वाक्य मैं पढ़ रहा हूं :

> "Finding fault with him on some lame excuse this Harijan youth was brutally burnt and rosted like a pig by hanging him over a burning fire."

16 hrs.

मैं अपने उन मित्रों से यह कहना चाहता हूं कि इस इश्यू को सियासी रंगत मत दीजिए यह एक नेशनल इश्यू है। पार्टी लेवल से ऊपर उठाकर इसके ऊपर सोचा जाय। जो लोग यह कहते हैं कि इस के लिए जनता पार्टी या कोई और जिम्मेदार है यह बिल्कुल गलत बात है। मैं कुछ और आंकड़े देना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि आज ही ये एट्रोसिटीज नहीं हुई हैं। ये गवर्नमेंट के अपने आंकड़े हैं। 1972 में 3302 एट्रोसिटीज हुई। ये रजिस्टर्ड और रिपोर्टेड केसेज हैं। 1973 में 6186 और 1974 में 11238 एट्रोसिटीज हुई। उसके बाद 75 और 76 में इमरजेंसी का साल आ जाता है। उसमें जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्टिंग हुई नहीं, लेकिन जो कुछ जानकारी है उसके हिसाब से फैमिली प्लानिंग के नाम पर लाखों हरिजनों को जिबा किया गया क्योंकि वे बोल नहीं सकते थे। इसके ज्यादातर शिकार गरीब हरिजन ही हुए हैं। मैं आज जब अपने इलाके में जाता हूं तो देखता हूं कि गरीब हरिजनों के घरों में कमाने वाला एक ही था जो कि नसबंदी का शिकार होकर आज चारपाई पर पड़ा हुआ है, उसकी पत्नी कुछ कमा नहीं सकती है और बच्चे भूखे मर रहे हैं। उनके पास आज कोई रोजगार या धंधा नहीं है। कम से कम ऐसे हार्ड केसेज में जो लोग नसबंदी के शिकार हुए हैं उनको गवर्नमेंट की ओर से उस समय से लेकर अब से उनका

ओप्रेशन हुआ—उनका इलाज हो जाने तक कम से कम पांच रुपए की दिहाड़ी जरूर मिलनी चाहिए ताकि उनका गुजारा हो सके। आज देश में हरिजनों की हालत जैसी है उसके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं :

गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं वाकिफ
सजा तो जानते हैं पर खुदा जाने खता क्या है।

आज हरिजनों को जो सजा मिल रही है वह किस खता पर मिल रही है, यह उनको मालूम नहीं है।

एक बात से मुझे संतोष हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री जी का एक पत्र अखबारों में छपा था, उन्होंने बिहार के मुख्य मंत्री और यू०पी० के मुख्यमंत्री को लिखा था कि जो भी इंसीडेंट्स हुए हैं—बेलछी के या दूसरे—वह हमारी जनता पार्टी के लिए, जनता पार्टी की सरकार के लिए और सारे मुल्क के लिए शर्म का बायस है। इसके अलावा गृह मंत्री, चौ०चरणसिंह ने भी कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वह हिन्दू समाज के माथे पर कलंक का टीका है। उनके अल्फाज बिल्कुल सही हैं और मैं इस सिलसिले में एक शेर पढ़ना चाहूंगा :

हर ज़ख्म पे रख दी मुहब्बत ने जुबां आज
सदियों के दबाये हुए गम बोल उठे हैं।

इन एट्रोसिटीज और जुल्मों को रोकने के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहता हूं ताकि वह होने ही न पायें। पहली बात तो यह है कि ज्यादातर झगड़े उजरत पर होते हैं। वे दिहाड़ी ज्यादा मांगते हैं तो उनके साथ मार-पीट होती है। मेरा सुझाव है कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट को देहात के मजदूरों के संबंध में ज्यादा सख्ती के साथ लागू किया जाये। अगर यह होता है तो एट्रासिटीज को बहुत कुछ रोका जा सकेगा।

दूसरी बात यह है कि इमर्जेंसी में कुछ लोगों को प्लाट दिए गए थे—रिहायशी प्लाट, आज उन प्लाटों पर झगड़े हो रहे हैं। कामन लैंड में से वह प्लाट दिए गए थे और आज वह प्लाट उनसे छीने जा रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब और दूसरे कन्सर्ड मिनिस्टर्स से कहूंगा कि वे इस बात को डिक्लेयर करें कि इमर्जेंसी में या बीस प्वाइन्ट की तहत जो भी प्लाट दिए गए थे उन पर से किसी को उजाड़ा नहीं जायेगा।

तीसरी बात यह है कि सिविल राइट्स एक्ट, जिसको पहले अनटचेबिलिटी एक्ट के नाम से कहा गया था उसको अमेंड किया गया लेकिन बदकिस्मती से ऐसा मालूम होता है कि आज तक उसके अन्तर्गत बने रूल्स को नोटिफाई नहीं किया गया। अमेंडमेंट किए हुए सालों हो गए हैं। अगर अब आप उन रूल्स को नोटीफाई कर दें तो बहुत कुछ सहूलियत हो जायेगी।

चौथी बात यह है कि सी०बी०आई० में एक सेल बनाया जाये जो इंडीपेंडेन्टली इंक्वायरी कर सके, ऐसी एट्रासिटीज को केवल पुलिस पर ही नहीं छोड़ना चाहिए।

पांचवीं बात यह है कि स्टेट्स में चीफ सेक्रेटरीज़ के लेविल पर जिलों में जिलाधीश और एस०पी० को ज़ाती तौर पर इन एट्रासिटीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाये। वे इंक्वायरी करके जवाब दें कि कहां कहां पर क्या क्या ज्यादतियां हुई हैं। अगर यह कर दिया जाये तो मैं समझता हूं काफी ज्यादतियां बन्द हो जायेंगी।

इसके अलावा एक बात और है कि मोबाइल पुलिस स्कवेड की स्थापना होनी चाहिए जो घूम फिर कर देख सकें और

[श्री सूरज भान]

कार्यवाही कर सकें। इसके अलावा युनिवर्सिटीज के विद्यार्थियों को मानेटरी हेल्प भी दी जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार ऐसा कर रहा है।

अब मैं सर्विसेज के बारे में भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि आज तीस साल आजादी के बाद सर्विसेज की जो हालत है उसमें गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार क्लास वन में 3.46 परसेन्ट हैं, क्लास टू में 5.41 परसेन्ट हैं, क्लास थ्री में 11.31 परसेन्ट हैं जबकि शेड्यूल्ड कास्ट्स का उसमें रिजर्वेशन 15 परसेंट का है। इसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राईब्ज जिनका रिजर्वेशन 7.5 परसेंट का है वे क्लास वन में 0.68 परसेंट, क्लास टू में 0.74 परसेंट और क्लास थ्री में 3.93 परसेन्ट है। सीनियर क्लास वन में तो रिजर्वेशन है ही नहीं। मैं मांग करता हूं कि इसमें भी इनका रिजर्वेशन होना चाहिए और अभी जो बैकलाग या शार्टफाल है उसको दूर करने के लिए मेरे तीन सुझाव हैं। यदि इनको आप मान लीजिए तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि पांच साल में सारा बैकलाग पूरा हो जायेगा।

पहला सुझाव यह है कि आज कल अखबारों में जो एडवरटिजमेंट आता है, उसमें लिखा होता है—

If suitable SC and ST candidates are not available the post will be given to others.

मैं पूछना चाहता हूं— 30 सालों में भी आप इन को सूटेबिल नहीं बना सके, या सूटेबिल कैण्डीडेट सिर्फ शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज में ही छांटना है, दूसरों में अनसूटेबिल कैण्डीडेट नहीं होते? मेरा सुझाव है कि अखबारों में यह लाइन छपनी ही नहीं चाहिये। अगर पहली बार में कैण्डीडेट नहीं मिलता है, तो सैकण्ड टाइम उस को नोटिफाई कीजिए और जब तक कैण्डीडेट नहीं मिलता है उस पोस्ट को खाली रखिये। तीन महीने खाली रखने से कोई पहाड़ नहीं टूट जायेगा। मैं भी सर्विस में रह चुका हूं, मुझे पता है कि पोस्ट्स कैसे सैंक्शन होती है, साल-साल और डेढ़-डेढ़ साल कोशिश करने के बाद पोस्ट सैंक्शन होती है। अगर साल-डेढ़ साल तक बिना उस पोस्ट के काम चलाया जा सकता है तो तीन महीने में भी काम चलाया जा सकता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि जब तक कैण्डीडेट नहीं मिले, उन पोस्ट्स को खाली रखा जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो उन अफसरों के दिमाग में यह बात पैदा होगी कि कैण्डीडेट नहीं लिया तो पोस्ट को खाली रखना पड़ेगा, तब फिर कैण्डीडेट जल्दी मिल जायेगा।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि पी०एण्ड टी० में आलरेडी एक ऐसा सिस्टम है वहां सब की मैरिट के हिसाब से सीनियोरिटी लिस्ट बनती है। मान लीजिये किसी पोस्ट को रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है—उस हिसाब से एक जैनरल लिस्ट, एक शेड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट और एक शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की लिस्ट बना ली जाती है। उसके बाद जिन्होंने एफ० ए० या बी० ए० पास किया होता है, उन की एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन को दृष्टि में रखते हुए उनको प्राथमिकता दी जाती है। अगर यह सिस्टम पी० एण्ड टी० में कामयाब हो सकता है तो दूसरे विभागों में क्यों कामयाब नहीं हो सकता? अगर इस तरह से काम किया जाये तो उन का कोटा बहुत जल्दी पूरा हो सकता है।

तीसरा सुझाव—अगर किसी केस में यह साबित हो जाय कि रिजर्वेशन के रूल्ज को जानबूझ कर वायोलेट किया गया है, the violation of these rules should be treated as breach of Service Conduct Rules.

अगर यह सजा मुकर्रिर कर दी गई तो कोई आदमी हरिजन आदिवासियों के हक पर छापा मारने की जुरंत नहीं करेगा। अगर ऐसा हो जाय तो पांच वर्ष में तमाम बैकलाग पूरा हो सकता है।

शैड्यूल्ड कास्ट्स का केवल रिक्रूटमेंट का ही मसला नहीं है, बल्कि जहां एप्वाइन्ट-मेन्ट होता है, उन को गैर-अहम जगहों पर पोस्ट कर दिया जाता है। आई०ए०एस० और आई०पी०एस० में सिलैक्शन होने के बाद उन को किसी जिम्मेदार जगह पर भेजने के बजाय सैक्रेटेरिएट में कलर्की करने की जगह पर भेज दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इन लोगों में से कुछ लोगों को लाजमी तौर पर डिस्ट्रिक्ट का हैड बनाया जाना चाहिये।

मैं एक मिसाल देना चाहता हूं—मुझे अफसोस है कि मैं इसे हाउस के सामने ला रहा हूं—यह पिछले साल का वाक्या है—राजस्थान की 6 आदमियों की डिमाण्ड थी, 6 आई०ए०एस० को लेना चाहते थे, इन के पास तीन आदमी थे—एक अदर कम्यूनिटी का और दो शैड्यूल्ड कास्ट्स के। रूल्ज के मुताबिक इन तीन आदमियों को राजस्थान में लगाया जा सकता था, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने एक आदमी अदर कम्युनिटी का और एक शैड्यूल्ड कास्ट का भेज दिया। राजस्थान गवर्नमेंट ने लिखा कि तीसरा आदमी भी भेज दें चाहे वह शैड्यूल्ड कास्ट का है, हमारी स्टेट का कैण्डीडेट है, उस को दे दीजिये, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने उन की इस बात को नहीं माना। अगर

तीसरा आदमी अदर कम्युनिटी का होता तो वह लाजमी तौर पर राजस्थान को मिल जाता लेकिन हरिजन होने के कारण उसे अपनी होम स्टेट में नहीं लगाया। इस से बड़ी ज्यादती और क्या की जायगी ? क्या आदरणीय होम मिनिस्टर इस में इंसाफ करेंगे ? हरिजनों के साथ कन्फर्मेशन और दूसरे मामलों में जो ज्यादतियां हो रही हैं, मैं उन की डिटेल में इस वक्त नहीं जाना चाहता—लेकिन इस तरह का ट्रीटमेन्ट आप की मिनिस्ट्री में इन लोगों को अभी भी मिल रहा है।

जहां तक प्रमोशन का ताल्लुक है—क्लास 1 के बारे में मैं पहले बता चुका हुं। कई बार प्रमोशन का चांस आता है लेकिन उन को एवा ड किया जाता है। आप के यहां कायदा है कि नम्बर आफ़ पोस्ट्स के पांच गुना कैण्डीडेट्स को कंसीडर किया जाना चाहिए लेकिन जब देखते हैं कि इस में हरिजन कैण्डीडेट आ जायगा तो उस को घटा कर तीन गुना कर देते हैं। आप के यहां डिफेंस में ऐसा हो रहा है—मैंने इस सम्बन्ध में बाबू जगजीवन राम जी को लिखा और इन्मीडेंट कोट किया। उन का जवाब आया कि यह बात ठीक है—पांच गुना की बजाय तीन गुना ले रहे हैं, लेकिन ऐसा पहले से चला आ रहा है, आगे के लिये इसको ठीक कर देंगे। सभापति महोदय, होना तो यह चाहिये कि पांच गुना की बजाय छः गुना कैण्डीडेट्स को कसीडर किया जाय, लेकिन यहां तीन गुना को ही कन्सीडर किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि रूल्ज का इम्पली-मैन्टेशन सही तौर से होना चाहिये।

आज से 30 साल पहले जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था, हमारे शरणार्थी भाई बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में, लेकिन एक करोड़ से कम थे, यहां आये। उनकी दयनीय हालत को देख कर यहां रिहैबिलिटेशन मिनि-स्ट्री बनाई गई और उनको रिहैबिलिटेट

[श्री सूरज भान]

किया गया। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि हजारों साल से करोड़ों हरिजन और आदिवासी रिफ्यूजीज की हालत में इस देश में रह रहे हैं, क्या उन के लिए कभी कोई मिनिस्ट्री बनेगी? आज तक उन के लिए मिनिस्ट्री इसलिए नहीं बनी क्योंकि वे अच्छी तरह से नहीं रोये और उन्होंने अपनी बात को जोरदार शब्दों में नहीं कहा। मैं पुरजोर शब्दों में मांग करना चाहता हूं कि उन की हालत सुधारने के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बननी चाहिए और जो भी ज्यादतियां उन पर विभिन्न विभागों में हो रही हैं, उन को वह मिनिस्ट्री देखे।

एजूकेशन के बारे में मैं सिर्फ एक बात यह कहना चाहता हूं कि कई जगहों पर उन को रिजर्वेशन मिलता ही नहीं है। सैनिक स्कूलों में उन के लिए रिजर्वेशन नहीं है और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अलीगढ़ के मैडिकल कालेज में भी उन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। हिन्दुस्तान भर के मैडिकल कालेजों में उन के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन अलीगढ़ मैडिकल कालेज में उन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है हालांकि गवर्नमेंट से उस को पूरी सपोर्ट मिलती है। मेरा कहना यह है कि तमाम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूटशन्स में उन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए और जो भी रिजर्वेशन हो, उस का इम्पलीमेंटेशन होना चाहिए। इस के अलावा स्कालरशिप्स का एमाउन्ट बढ़ना चाहिए। स्कालरशिप का एमाउन्ट मिलने में बड़ी देर हो जाती है। इसलिए हर ऐसे स्टूडेंट को एनटाइटिलमेंट कार्ड मिलना चाहिए और जब भी वह उस कार्ड को ले कर जाए, तो उस को फौरन स्कालरशिप मिलनी चाहिए। अगर हर स्टूडेंट को एनटाइटिलमेंट कार्ड मिल जाता है, तो मैं समझता हूं कि जो डिले स्कालरशिप मिलने में होती है, वह एलिमिनेट हो सकती है।

एकोनामिक कंडिशन्स के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्यों कि सब जानते हैं, लेकिन उन की हालत को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इस के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नेशनेलाइज्ड बैंकों को है कि उन को लोन का एक-तिहाई हिस्सा डिफेन्शियल रेट आफ़ इन्ट्रेस्ट पर दिया जाए लेकिन बड़े दुःख की बात है कि ये जो स्पेसीफिक इंस्ट्रक्शन्स गवर्नमेंट के हैं, उन का इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसलिए मेरा कहना यह है कि हरिजनों को एक-तिहाई लोन डिफेन्शियल पर मिलना चाहिए।

इस के अलावा मेरा सुझाव यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो नये बाजार बन रहे हैं, उन में कुछ दुकानें हरिजनों को भी दी जानी चाहिएं। हरिजनों और आदिवासियों के लिए कुछ फीसदी दुकानें रिजर्व कर देनी चाहिए।

इस के अलावा मेरा सुझाव यह है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एजेन्सीज का कुछ फीसदी हिस्सा हरिजन और आदिवासियों को दिया जाए। मिसाल के तौर पर फेयर प्राइस शोप्स, कोयले के डीपू, तेल की एजेन्सियां, गैस की एजेन्सियां जो हैं, उन में से कुछ हिस्सा हरिजन और आदिवासियों को दिया जाना चाहिए।

जहां तक इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, उसमें भी कुछ फीसदी शेड हरिजन और आदिवासियों के लिए रिजर्व करने चाहिए। इस के अलावा हरिजन और आदिवासियों को आसान किस्तों पर कर्जे दिये जाने चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी स्टेट्स में उन को आसान किस्तों पर कर्ज दिये गये हैं। इस के अलावा उन को कुछ तकनीकी मदद भी देनी चाहिए।

इस के साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों की सहूलियत के लिए कुछ प्रदेशों में हरिजन कल्याण निगम बने हैं। ऐसे निगम सब प्रदेशों में बनने चाहिए और उन को सरकार की तरफ़ से पूरी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और उन में कोई गोलमाल नहीं होना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ हरिजनों के विरुद्ध फ्राड भी होता है। एडोप्शन के जरिए कुछ भद्र पुरुषों ने काफ़ी लाभ उठाया है। हरिजन के यहां एडोप्ट होकर सर्विसेज में और मेडिकल कालेज में उनको एडमीशन मिल जाता है? इस तरह के एक नहीं बल्कि सैकड़ों केस मैं आपको बता सकता हूं लेकिन समय कम होने के कारण मैं उन को यहां नहीं बताना चाहता। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस तरह के ग़लत एडोप्शन को चैक किया जाए। इसी तरह से कोआपरेटिव बैंक्स और सोसइटीज कोआपरेटिव बैंक्स में हरिजनों के नाम पर बहुत बड़ा फ्राड हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां हरियाणा में एक गुलाब सिंह जैन, एक्स एम० एल० सी० थे, जो इन्दिरा जी को प्यारे हो गये। उन्होंने म्यूनिसिपलिटीज के एम्पलाइज जैसे स्वीपर्स के नाम पर पौने छ: लाख रुपये का फ्राड किया। उनके पास एक बीघा जमीन नहीं है लेकिन दो हरिजनों के नाम पर 24,000, 24,000 हज़ार रुपये के ट्रैक्टर लेने के नाम पर रुपया हड़प लिया। इस तरह से उन्होंने 5 लाख 78 हज़ार रुपया हड़प लिया और हरिजनों के नाम पर फ्राड किया।

इसके अलावा पिछले दस साल में आल इण्डिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग ने 13,92,120 रुपये की गवर्नमेंट से ग्राण्ट ली। पता नहीं इस पैसे का उन्होंने क्या किया है। यह एक पोलीटीकल आर्गेनाइजेशन है और हो सकता है कि उस में से कुछ आदमी आज जनता पार्टी में टूट कर आ गये हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की जो पालीटीकल एक्टिवीटीज हैं चाहे वे डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की हों, उनको यह ग्राण्ट बिल्कुल बन्द होनी चाहिए। वह काम क्या करता है। प्रीतिभोज वगैरह पर ही खर्च किया जाता है और कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता है। माननीय हितेन्द्र देसाई जी ने कहा है कि हरिजन सेवक संघ बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे तो पता नहीं है कि वह क्या अच्छा काम कर रहा है। लेकिन पिछले दस साल का मुझे नालेज है। उसको 81 लाख 95 हजार 236 रुपये दिए गए है। इससे पहले कितने दिए गए मुझे पता नहीं है। प्रीतिभोज, पद यात्राओं वगैरह के नाम पर उसने यह 82 लाख रुपया खर्च कर दिया है।

शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्ट जो हमारे सामने है उस पर हम विचार कर रहे हैं। मुझे उन पर बड़ा रहम आता है। 1967 तक उसके सतरह रिजनल आफिसर्स थे, रिजनल आफिस होते थे जिन से उसको रिपोर्टें सभी राज्यों की मिलती रहती थीं। मैं उस सबकी तफसील में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि टाइम नहीं है। लेकिन इन सतरह आफिसिस को एबालिश कर दिया गया और जो स्टाफ यहां पर काम करता था उसको डायरेक्टर जनरल बैक्वर्ड क्लासिस में डाल दिया गया। ऐसा करके उसको आइज़ और ईयर्ज से डिप्राइव कर दिया गया। एक मूर्ति साहब को वहां नियुक्त कर दिया गया था। हर साल उसको नाजायज तौर पर तरक्कियां दी जाती रही है और उसका कारण यह है कि वह पहले वाले जो राष्ट्रपति जो हुआ करते थे श्री वी० वी० गीरि जी उनके दामाद हैं। पांच साल में उनको बहुत ज्यादा प्रोमोशंज

[श्री सूरज भान]

मिली हैं । बहुत सी धांधलियां उनकी हैं जिन में जाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है । शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर को आपने अंधा बहरा तो पहले ही बना दिया था अब उसका गला भी काटा जा रहा है । इन पोस्ट्स को एबालिश करके किस तरह से राज्यों से उसके पास सही रिपोर्ट पहुंच सकती है ? अब आप सिविल राइट्स कमिशन बनाने की बात सोच रहे हैं और कमिश्नर की पोस्ट को एबालिश करने की बात कर रहे हैं । जैसा श्री हितेन्द्र देसाई ने कहा है, हमारी मांग भी यह है कि एक की जगह दो अलग अलग कमिश्नर दोनों जातियों के लिए होने चाहिएं । इसके बिना काम ठीक से नहीं हो सकेगा । लेकिन आज तो बात ही और चल रही है और यह कहा जा रहा है कि इस पोस्ट को भी एबालिश कर दिया जाए या उसको और काम दे दिया जाए । ऐसी स्थिति में वह कुछ भी नहीं कर सकेगा । आप सिविल राइट्स कमिशन बनायें, हमें खुशी होगी । लेकिन जहां तक कमिश्नर की पोस्ट का ताल्लुक है इसको स्ट्रेंगथन किया जाए, रिजनल आफिसर्स को ऐस्टोर किया जाए । सिविल राईट्स कमिशन बने, हमें एतराज नहीं है ।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिए हैं उन पर अमल किया जायेगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : शड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड ट्राइब्ज की समस्या हमारे देश की सब से जटिल समस्या है । यह प्रसन्नता की बात है कि चाहे यहां सदस्य इधर बैठें हों या उधर बठे हों या मेरे दायें बैठे हों उन की इस समस्या के बारे में एक राय है और सभी इसको राजनीतिक समस्या नहीं मानते हैं । सभी यह कहते हैं कि यह किसी राजनीतिक पार्टी की समस्या नहीं है बरन् सारे देश की समस्या है । सारा देश भी एक मत है इसके बारे में ।

स्वतन्त्रता के बाद जब देश का विधान बना तो हमारे विधान निर्माताओं ने हमारे विधान में एक नहीं आठ दस धारायें ऐसी इस में रखीं जो कि इनकी प्रगति के बारे में थीं, वीकर सेकशंज के सेफगार्ड के बारे में थीं, उनकी शिक्षा, स्टाइपेंड्ज, स्कालरशिप्स, उनके इंस्टीट्यूशंज बनाने के बारे में थीं उन में दिया हुआ है कि इनको ये ये सुविधायें दी जानी चाहियें । विधान निर्माताओं ने धारायें 29 (2), 31, 341, 342, 340, 275, 338 आदि रखीं । इन धाराओं ने इन लोगों को आगे ले जाने और इनकी प्रगति करने की व्यवस्था की गई है । इसके अलावा एक अनटचबिलिटी आफेंसिस एक्ट बना जिस का संशोधन 1975 में किया गया और उस एक्ट को ज्यादा अच्छा बनाया गया । बहुत सी स्कीमें भी इनके वास्ते बनाई गई । पांचवीं योजना में करीब 208 करोड़ का प्रावधान किया गया शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के लिए जबकि चौथी योजना में केवल 55 करोड़ का प्रावधान किया गया था । चार लाख स्कालरशिप्स पोस्ट मेट्रिक के वास्ते रखे गये । 1970–71 में पौने दो लाख ही रख गए थे । सीट्स भी इनके लिए रिजर्व की गई और सर्विस कंडिशंज में रिलेक्सेशन भी दिया गया । बहुत सी चीजें इस तरह से उनके लिए की गई । लेकिन 30 साल की आजादी के बाद भी आज हम यही कहेंगे कि जो कुछ हमारे विधान निर्माताओं ने हमसे अपेक्षा की थी, जो कुछ हम करना चाहते थे, वह कुछ हुआ नहीं । अधिकांश वह केवल कागज पर है । योजना है लेकिन वास्तव में उसका लाभ गरीब जनता

को, हरिजनों को, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को नहीं पहुंचा है। अगर यह मैं कहूं कि यह समस्या एक बहुत बड़ी बैफ़लिंग नेशनल प्रौब्लम है तो गलत न होगा और जिसको सुलझाना अत्यन्त आवश्यक है और जल्दी से जल्दी इसको सुलझाना चाहिए। यह समस्या सारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेन्ज है और जनता पार्टी के लिए तो और भी ज्यादा क्योंकि उसका उद्देश्य यही है कि हमें वीकर सक्शन्स का ध्यान रखना है और जिसके आधार पर हम चुन चुन कर के यहां आये हैं।

सभापति जी, 30 साल की आजादी के बाद भी मैं थोड़े बहुत आंकड़े दूंगा, कुछ तो हमारे साथियों ने आंकड़े दिये हैं, जिससे स्पष्ट है कि आज भी हालत कोई अच्छी नहीं है। मेरे पास आंकड़े है जिनके मुताबिक क्लास 1 के सारे देश के अन्दर 31,428 अधिकारी हैं और इनमें शेड्यूल्ड कास्ट्स के 1,058 अधिकारी हैं जिसका परसेंटेज 3.36 परसेंट है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के केवल 169 अफ़सर हैं जिसका परसेंटेज 0.51 परसेंट है। इसी तरह से क्लास 2 में 47,630 अफसर हैं और शेड्यूल्ड कास्ट्स का 4.35 परसेंटेज है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का 0 48 परसेंटेज है। इसी तरह से क्लास 3 में 14 लाख 85 हजार 364 लोग हैं, इनमें से 1 लाख 50 हजार 58 शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग है जो 10 परसेंट बैठता है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 2 परसेंट हैं। तो जहां पर साढ़े 22 परसेंट होना चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आबादी के हिसाब से वहां पर केवल ढाई परसेंट 4 परसेंट और 10 परसेंट है और क्लास 4 में 13 परसेंट हैं। और 1975 में बढ़ कर के 3.4 परसेंट, 5.4 परसेंट, 11.3 परसेंट हो गया।

इसी तरह से जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया है कि आज भी हरिजनों के ऊपर अत्याचार होते हैं और वह दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। 1972-73 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 3456 कम्प्लेंट्स आयीं और 1973-74 में वह बढ़ कर के 4622 हो गई और मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के हिसाब से 1-1-74 से 10-6-74 तक 2,700 कम्प्लेंट्स आयीं है जिसमें से 114 मर्डर के केसेज़ हैं, 127 रेप के केसेज़ हैं और 601 अनटचेबिलिटी के केसेज हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि आज भी इस देश में इन्सान इन्सान के साथ भेदभाव करता है। इन्सान इन्सान नहीं समझता है। यह हमारे लिए शर्म की बात है। मैं विदेशों में गया वहां पर लोग बहुत सवाल पूछते हैं, हरएक चीज़ का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब वह यह सवाल पूछते हैं कि क्या आप के देश में ऐसे लोग भी हैं जिनको लोग छूने में एतराज करते हैं, यह क्यों है, क्या वह इन्सान नहीं हैं, तो इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। हम गरीबी का जवाब दे सकते हैं महंगाई का जवाब दे सकते हैं, बेरोज़गारी का और किसी भी चीज का जवाब दे सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का चाहे इस देश का कोई छोटा या बड़ा नेता हो उसके पास कोई जवाब नहीं है। हम इन सब को इन्सान क्यों नहीं समझते हैं। हम इन्सान को छूने में क्यों शर्म महसूस करते हैं? यह हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है।

मैं डा० अम्बेदकर के उस कथन को आपके सामने पढ़ता हूं जो उन्होंने विधान बनाते समय 25 नवम्बर, 1949 को दिया था।

"On the 26th January, 1950, we are going to enter into a life of contradiction. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. In politics we will be recognising the principle of one man one vote and one vote one value. In our social and economic life, we shall,

[श्री कंवर लाल गुप्त]

> by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man one value. How long shall we continue to live this life of contradictions ? How long shall we continue equality in our socio-economic life ? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy when this Assembly has so laboriously built up."

अध्यक्ष जी, यह डाक्टर अम्बेदकर का है, जो कि विधान के बड़े निर्माता थे। उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर यही हालत चलती रही तो हमारी डैमोक्रेसी खतरे में पड़ जायेगी, हवा में उड़ जायेगी और हमें मालूम भी नहीं होगा। यह खतरा इस देश को समझना चाहिए।

आज 30 साल के बाद क्या हुआ ? यह जो एक्ट बनाया गया है, इसके बारे में एक पोस्मल कमेटी बनी थी। उसने यह सर्वे किया कि इस ऐक्ट के बारे में कितने लोगों को जानकारी है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जब शहरों के लोगों से उन्होंने बातचीत की, 100 लोगों से पूछा तो केवल 12 लोगों को यह मालूम था कि इस तरह पर अनटचेबिलिटी ऑफेन्स एक्ट कोई है। इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि जब उन्होंने 30 पुलिस अफसरों से पूछा कि क्या कोई ऐसा एक्ट है तो उनमें से सिर्फ 2 को मालूम था कि यह ऐक्ट है। इसका मतलब यह है कि कार्यवाही करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब पुलिस अफसरों को मालूम ही नहीं कि इस तरह का एक्ट भी है तो इस बारे में वह क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री हितेन्द्र देसाई ने बहुत अच्छी बात कही कि यह पार्टी का सवाल नहीं है। उन्होंने तो कहा, लेकिन अभी फ़ायर ब्रांड्ज आगे उसको पार्टी का सवाल बनायेंगे। मैं समझता हूं कि यह इन्सानियत के साथ खिलवाड़ होगा अगर इसको पार्टी का सवाल बनाया। यह देश का सवाल है, इसका हल इस देश में एक राय हो कर होना चाहिए। यह नेशनल कान्सेंसेश के आधार पर होना चाहिए, इसमें किसी भी पार्टी का मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन मुझे यह सुन कर दुःख हुआ कि होम मिनिस्टर के खिलाफ यह मुद्दा उठाया गया कि बेलछी में जो हरिजनों पर अत्याचार हुआ उसको लेकर उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को एंटी-सोशल की शक्ल में पेंट करके पेश किया। यह अच्छी बात नहीं है। यह आप इन्सानियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप इस तरह का सवाल उठायेंगे तो गरीबों की मुरब्बत का फायदा आप अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं। परन्तु आज जनता उसको माफ नहीं करेगी।

श्री हितेन्द्र देसाई जो आंकड़े यहां दे रहे थे, क्या 4 महीने में चौधरी चरण सिंह उसको बराबर ला सकते हैं ? आपकी सरकार 30 साल तक रही, क्या आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं ? आप भी जिम्मेदार हैं, चौधरी चरण सिंह जी, मैं और मेरे पिता, दादा सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं। पीढ़ियों से जो अत्याचार हो रहे हैं, उसमें सारा समाज जिम्मेदार है। इसलिए पार्टी का सवाल इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा तो यह हो कि सब पार्टियां बैठें और एक नेशनल कान्सेंसेस डवलप हो और किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं, इस पर विचार किया जाये।

प्राइवेट सैक्टर में, पब्लिक सक्टर में और गवर्नमेंट के बैंक्स में इसकी सर्विस की

रेशियो बहुत कम है। मेरा सुझाव है, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें कि जहां भी हरिजनों पर अत्याचार होता है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, उसकी रिस्पौंसेब्लिटी की पिन-डाउन कर देना चाहिये कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी होगी और सजा मिलेगी। इसी तरह से सर्विसेज़ में जो सक्रैटरी आफ दी डिपार्टमैंट है, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कहीं पर भी एक साल के बाद, जितनी रिक्रूटमेंट हुई है, अगर उसमें कम रेशियो होगी तो उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। अगर यह दो बातें की जायें तो मेरा ख्याल है कि यह चीज ठीक हो सकती है।

मैं चाहूंगा की चीफ मिनिस्टर्स की जो कान्फ्रेन्स होने वाली है,' हमारे गृहमंत्री जी यह समस्या उनके सामने रखें और उनसे विचारविमर्श करें और देखें कि क्या रास्ता निकल सकता है। इस के बारे में बहुत देर तक ढील नहीं दे सकते है और कोई कंकरीट स्टैप उठाना चाहिए। स्वयं इस सदन के सामने सरकार को आना चाहिए कि वह यह यह कदम उठाना चाहती है, यह यह काम करना चाहती है ताकि देश की यह बहुत बड़ी समस्या हल हो सके।

हमने इन लोगों की तरक्की के लिए संविधान में प्राविज़न रखे और बहुत सी स्कीमें बना कर करोड़ों रुपये खर्च किये लेकिन अभी तक यह एसेसमेंट नहीं हुआ कि इस क्षेत्र में कितनी प्रोग्रेस हुई है। जब तक इस तरह का एक प्रापर एसेसमेंट नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस के लिए मैं किसी कमीशन की मांग नहीं करूंगा। कोई कमीशन यह काम नहीं कर सकता है। यह काम कि पापुलर लेवल पर एक कमेटी बनाई जाये बना कर ही किया जा सकता है। मैं मांग करता हूं कि इस सदन की एक कमेटी बने, जो इस बात की जांच करे कि पिछले तीस सालों में इन लोगों की कितनी तरक्की हुई है, हम ने इस बारे में जो कुछ करना तय किया था, वह कहां तक पूरा हुआ है, और अगर नहीं पूरा हुआ है, तो क्यों नहीं पूरा हुआ है, और वह कमेटी यह सुझाव भी दे कि किन किन उपायों से हम उसे पूरा कर सकते हैं।

अभी भी हमारे देश में बहुत बड़े बड़े संत, महात्मा और आचार्य ऐसे हैं, जो इस बीसवीं सदी में भी कहते हैं कि इन पुराने रीति-रिवाजों को हाथ न लगाओ, ऐसा करने से पाप होगा। लाखों लोग आज भी उनकी पूजा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इन्सान और इन्सान के बीच में भेद करता है, वह सन्यासी नहीं हो सकता है, वह आचार्य या महात्मा नहीं हो सकता है, वह एक क्रिमिनल या वह इन्सान नहीं है — मैं उसे इन्सान नहीं मानता हूं। हमें उस देश की जनता में जागृति पैदा करनी चाहिए कि जो व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है, सारा समाज उस के खिलाफ़ बगावत कर दे, और उसे बता दे कि आज हमारे समाज में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे नहीं किया जायेगा, तो इस प्रकार के लोग और आगे बढ़ते जायेंगे और इस समस्या का हल नहीं होगा।

श्री हितेन्द्र देसाई ने गुजरात के कुछ आश्रमों का ज़िक्र किया। मुझे नहीं मालूम कि वे आश्रम किस तरह के हैं। मैंने उन्हें नहीं देखा है। लेकिन मैं ऐसा कोई भी आश्रम या स्कूल पसन्द नहीं करता हूं, जो केवल शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए हो। इन लोगों को

[श्री कंवर लाल गुप्त]

सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। स्वामी दयानन्द ने भी, जो इस युग के बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, इस समस्या को हल करने के लिए यह सुझाव दिया था कि सभी पाठशालाओं में सभी छात्र एक साथ शिक्षा लें, एक साथ खाना खायें और एक साथ रहें, ताकि हमारे समाज में छोटे बड़े, ऊंच नीच और गरीब अमीर की भावना खत्म हो जाये। गुरुकुल की सी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री हितेन्द्र देसाई : उन आश्रमों में कास्ट हिन्दूज भी जा सकते है।

श्री कंवर लाल गुप्त : जहां तक सर्विसिज का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों की इकानोमिक कण्डीशन्ज सुधारे बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती है। आज स्थिति यह है कि जो गरीब हरिजन गांवों में रहते हैं, उन के बच्चे आई० ए० एस० के कम्पीटीशन में नहीं आ सकते हैं। इस लिए सरकार को कुछ कोचिंग सेंटर बना कर उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए। ऐसे छः सात सैंटर इस वक्त हैं, लेकिन हर स्टेट में ऐसे बहुत से सेंटर कायम करने चाहिएं, जहां आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, पी० सी० एस० और क्लास वन को पोस्ट्स के लिए कम्पीटीशन में बैठने के लिए स्पेशल कोचिंग दी जाये, ताकि वे दूसरों के मुकाबले में आ सकें। वैसे तो यह समस्या ऐसी है जिसका कोई पैरेलल नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अमेरिका में जो निग्रोज थे उनकी भी यही हालत थी। उनको भी एक तरह से शूद्र माना जाता था लेकिन उन निग्रोज़ ने कभी भिक्षा नहीं मांगी। वे अपने पैरों पर खड़े हो गये। उन्होंने अपने आप को आर्गेनाइज किया और गोरे लोगों के खिलाफ एक डिटरमिंड फाइट की। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग हरिजन भाइयों में काम करते हैं उन को भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, आर्गनाइज करना चाहिए और एक डिटरमिण्ड फाइट करनी चाहिए जिसमें हम सब लोग भी शामिल हों। इस तरह की जो कान्शस क्लास होगी वह इस तरह से लड़ाई लड़ेगी तो जो उस तरह के थोड़े से लोग हैं उनका किला ढह जायेगा और वह जमाना आयेगा जब इस तरह की समस्या नहीं होगी।

श्री राम देनी राम (पलामू) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। आप हमें उन की मुखालिफत करने के लिए तो कहते हैं लेकिन आपने उनको बन्दूकों के लाइसेंस दिए हुए हैं हरिजनों को तंग करने के लिए। तो हरिजन उसके सामने उनकी मुखालिफत कैसे कर सकते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं खत्म कर रहा हूं। अभी इमरजेंसी के दिनों में हमारे उस तरफ के साथियों की जब सरकार थी तो उन्होंने यह कहा है कि 71 लाख मकानों के लिए जमीन दी गई है। मुझे नहीं मालूम कि वह कागज पर है या कहां है, लेकिन सरकार को इसके बारे में इंक्वायरी जरूर करनी चाहिए। दिल्ली की कुछ रिपोर्ट मुझे मिली है कि यहां 2–3 जगह जो जमीन उनको दी गई है वहां कुछ लोग उनको मकान बनाने नहीं देते। तो सरकार को देखना चाहिए कि कोई भी ऐसी जगह जो उनको दी गई हो उसमें उनको मकान बनाने की पूरी आजादी हो और जो बीच में आते हैं उनको कड़ी सजा मिले। मैं गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जनता सरकार एक ऐसी कांक्रीट चीज लायेगी जिससे इस समस्या के सुलझने में बहुत आसानी होगी और एक दिन वह आयेगा जब इस देश में यह समस्या नहीं रहेगी।

*SHRI A. MURUGESAN (Chidambaram): Hon. Mr. Chairman, Sir, I rise to participate, on behalf of the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, in the discussion on the Annual Reports of the Commissioner for Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. As a member belonging to the Scheduled Caste, I would like to make a few suggestions for the amelioration of adversities being faced by my fellow-men throughout the length and breadth of the country. I start my speech by quoting some comparative statistics supplied by the Department of Personnel of the Government to substantiate that the strength of Scheduled Caste and Scheduled Tribe staff in different categories of Government services is steadily dwindling.

The staff belonging to the Scheduled Castes:

	Class I	Class II	Class III	Class IV
1-1-1973	921	1890	133552	167948
1-1-1974	729	1593	134466	164535
The staff belonging to the Scheduled Tribes.				
1-1-1973	166	211	27208	40471
1-1-1974	134	164	30560	29114

From this, it is indisputable that the strength of staff belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes is declining in all categories excepting Class III. I would like to know the reasons for this fall.

Sir, there are orders of the Government of India specifying 15% reservation in recruitment for Scheduled Castes and 7½% for Scheduled Tribes. Here also I am constrained to take recourse to the figures furnished by the Department of Personnel.

	Class I	Class II	Class III	Class IV
S.C.	3·58%	4·83%	10·34%	17·86%
S.T.	0·65%	0·50%	2·35%	4·24%

Excepting in Class IV, i.e. the category of Peons where there is fulfilment of reservation quota for Scheduled Castes, in all other categories of staff, it is confirmed that the Government's fiat has become futile both for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. On 25th of this month, this House gave its assent to the O.N.G.C. (amendment) Bill ensuring employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates in the Oil and Natural Gas Commission eighteen years after its establishment. This shows the callous attitude of the Government in getting its directives implemented effectively. Whenever we raise the question of non-compliance of the reservation quota, immediately we are told that adequate number of qualified candidates belonging to S. C. and S. T. are not available. You will never get enough number of eligible candidates if the Universities do not implement your injunctions. The Universities have been directed to make 20% reservation in admissions for Scheduled Caste and Scheduled Tribes students. You know, Sir, that there are 110 Universities in our country. In as many as 65 Universities there is no reservation; in 35 there is reservation of 3% to 15%, and in 10 Universities only there is 20% reservation in admissions for SC and ST candidates. Similarly there is the notification of the Government that there is to be 5 % relaxation in the marks for SC and ST boys. It is regrettable that 61 Universities do not observe this notification, while 49 Universities give 5% relaxation in marks for SC and ST boys. In these circumstances, it is not surprising that you do not get enough number of eligible

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri A. Murugesan]

SC and ST candidates for appointment in Government services.

In regard to the competence of SC and ST candidates in Universities and I.I.Ts, the hon. Minister of Education has this to comment upon;

"We find that these SC/ST students are not coming up to the standards prescribed for them. Therefore, even when they are admitted, they cannot keep pace with the method of teaching."

If this is the view of our Education Minister, you can well imagine what will be the impression of others in high society. I would like to make two suggestions here. One is that the hon. Education Minister should ensure that the SC and ST students are given extra coaching during spare time and during holidays. Secondly, the hon. Education Minister should direct the University Grants Commission to stop the grants to Universities which do not implement the Government's instructions in regard to SC and ST students. I am sure that our Home Minister will convey these suggestions to the Education Minister and also exert his good offices in getting them implemented.

When this is the state of affairs in higher education, let me narrate what obtains in primary education level. In Classes I to V, the enrolment of children belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes is only 60% and 57% respectively. The most distressing feature here is that the precentage of drop-out in Class V is as high as 50. In this, naturally the SC and ST children will be perdominating. This is the position obtaining in 1974. This also proves that the SC and ST people, are not marching ahead but marching backward. Sir, the children are the blossoming buds of humanity and if these buds are crushed like this, how and when fragrant flowers are going to bloom among the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe communities. I demand serious consideration of the Government of this frustrating feature in the educational growth of SC and ST children.

Sir, there is imperative need for amending Article 338 of the Constitution. You know, Sir, that the scheduled castes are spread throughout the length and breadth of the country and the scheduled tribes are secluded in the hilly regions. It has been found from experience that one Commissioner is unable to attend to the growing needs of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There should be two Commissioners, one for the Scheduled Castes and one for the Scheduled Tribes and the necessary constitutional amendment must be brought forward by the Government in this regard.

The Prime Minister has expressed his inclination in setting up a Minorities Commission. There is general apprehension that the constitutional safeguards of the SC and ST people might get corroded in this amorphous Minorities Commission. It is reported that some Janata Party Members have represented to the HomeMinister in this matter and I request the hon. Minister to clarify this point.

Sir, it is inexplicable why the Scheduled Caste members embracing Buddhism should not be entitled to the facilities and concessions being enjoyed by the weaker sections of our society. After all, Buddhism is the rebel child of Hinduism and Buddha himself was born in India. There is no justification at all for jeopardising the interests of Scheduled Caste people who have become Buddhists. I suggest legal safeguards for them.

A few thousands of Scheduled Caste people, hailing from Tamil Nadu, are working in Delhi and they are denied their legitimate concessions. The arguement advanced is that the names of those castes are not on the lists of Delhi State Government. To obviate such hardships, in the 5th Lok Sabha a Bill was introduced. That Scheduled Caste and Scheduled Tribe Bill must be got enacted by the Janata Government as early as possible. It is unfortunate that the first 100 days of Janata rule has been marred by Belchi and Meerut incidents in which many Harijans were killed in open daylight. At least as a matter of recompense for that, this Bill should soon become an Act.

There are no representatives belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Judiciary, in Ambassadorial appointments and also in gubernatorial posts. Recently the Janata Government appointed four Governors and not one of them belonged to Scheduled Caste or Scheduled Tribe. As there are reserved constituencies for Lok Sabha, I demand that reservations must be made for SC and ST people in the Rajya Sabha and also in the Legislative Councils of the States.

Sir, the Parliamentary Committee for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has submitted several Reports and many Action-Taken Reports. Yet the number of SC and ST staff is getting nibbled slowly but steadily. This is a life and death question of 12 crores of down-trodden people whose daily average income is just 92 paise. If the Government does not take interest in redressing the genuine grievances of the people who do not have two square meals a day, no clothes to hide their shame and are exposed to vagaries of weather without a shelter, then naturally the country will be in shambles shortly.

The Janata Party leaders, who swear that they are the heir-apparents to Mahatma Gandhi's heritage, must open new vistas of meaningful life for these people who were dear to the Father of the Nation. I am sure that the Central Government would also give legislative form to the ideal ONE COMMUNITY AND ONE GOD, which was enunciated by our late lamented leader Arignar Anna who continues to be the beacon light for four crores of Tamil people. 'Classless Indian Society' should be the ultimate objective to be achieved through constitutional process. Till then, the Central Govrnment must intiate economic and social welfare programmes with adequate amounts of money for the upliftment of 12 crores of downtrodden people who are falling fast into deepening depths of despair like water speeding down the stream.

With these words I conclude my speech.

श्री केशव राव धोंडगे (नांदेड़) : सदर साहब, मैं इस ऐवान में आज अपने ख्यालात का इजहार करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह एक बड़ा अहम सवाल है । इस के बारे में अभी मेरे चन्द भाइयों ने कहा कि इस के लिये सभी जिम्मेदार हैं । मैं इस बात को मानता हूं । इस के लिये कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं है, पांच हजार सालों की अस्पृश्यता का यह कलंक जो हमारे सिर पर है, मुल्क पर है, इस के लिये हमारा समाज जिम्मेदार है. अब कब तक हम इस कलंक को ले चलना चाहते हैं, हमें इस को तोड़ना होगा । हमें इसके कारण को ढूंढ़ना होगा लेकिन मुझे अफसोस है कि कोई भी सियासी पार्टी—चाहे मेरी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो—हम इस बुनियादी मसले को हल नहीं करना चाहते हैं । इस की क्या वजह है ? सदर साहब, एमर्जेन्सी आजकल खत्म हो गई है, मीसा खत्म हो गया है, हम आजाद हो गये, लेकिन इन अछूत लोगों पर, गरीब, दलित और पद-दलित लोगों पर यह मजहबी मीसा आज भी कायम है । प्रीसेन्सरशिप हमारे और आप के लिये उठ गई, लेकिन हजारों सालों से जो प्रीसेन्सरशिप उन पर लागू थी, वह आज भी बदस्तूर कायम है, हर गांव में, हर शहर में; हर जगह अभी भी उन पर आयद है । इस के लिये कौन जिम्मेदार है ? हिन्दू धर्म और हिन्दूइज्म इस के लिये जिम्मेदार हैं । हिन्दूइज्म के खिलाफ हम बोलने के लिये तैयार नहीं हैं । हिम्मत नहीं हैं । इस अस्पृश्यता का सोर्स क्या है ? अस्पृश्यता का सोर्स क्रिश्चियनिटी नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है इस्लाम नहीं है । यदि हम भारतीय संस्कृति के बड़े अभिमानी हैं तो हम को यह भी मानना होगा कि इस कलंक के बानी हम हैं, हमारे पूर्वज हैं । इस लिये जब तक हिन्दू धर्म और हिन्दूइज्म के अन्दर से यह चीज नहीं निकलेगी, आप के तमाम इल्जामात गलत हैं । सत्यनारायण की महापूजा बनाने से या प्रीतिभोज करने से अस्पृश्यता खत्म नहीं होगी, बल्कि ढोंग होगा, अस्पृश्य दलित लोगों पर जुल्म होगा, ज्यादती होगी । जिन मुट्ठी भर लोगों ने मजहब के नाम पर समाज में अपना उच्च स्थान बना लिया है और उन को गुलाम समझ कर, कंगाल समझ कर उन को भीख देना चाहते हैं, रियायत देना चाहते हैं, अपने कानून मनवाना चाहते हैं, अगर यही आप की तहजीब और तमद्दुन है तो वे लोग ऐसी तहजीब और तमद्दुन नहीं चाहते, ऐसे मजहब को नहीं मानना चाहते जो इन्सान और इन्सान में फर्क पैदा करता है । द्वेष निर्माण करता है ।

सदर साहिब, आप जानते हैं हमारे यहां दशावतार हुए हैं लेकिन कोई भी अवतार

[श्री केशव राव धोंडगे]

इन दलित लोगों का उद्धार करने के लिये नहीं हुआ, चाहे राम हों, कृष्ण हों। ऐसा कोई भी धर्म ग्रन्थ नहीं है जो यह बतलाये कि अस्पृश्यता नहीं करनी चाहिये। हमारे यहां शंकराचार्य हुए—क्या कोई भी शंकराचार्य यह कहने के लिये तैयार है कि अस्पृश्यता को नहीं मानेंगे? हमारे धर्म ग्रन्थों में वर्ण संकर, वर्ण भेद, का जिक्र आता है, इन मजहबी किताबों में यही पढ़ाया जाता है, वर्ण-संकर करना गुनाह है, अगर यह होता है तो हमें इन शंकराचार्य के मठों को, ऐसे धर्म ग्रन्थों को खत्म कर देना चाहिए। इन दशावतारों ने अस्पृश्यता को हटाने के लिये कुछ नहीं किया, मगर वर्णाश्रम का समर्थन किया, लेकिन हमारे यहां ऐसे अवतार हुए हैं—जैसे महात्मा बुद्ध, म० कबीर, डा० बाबा साहिब अम्बेडकर, म० बसवेश्वर महात्मा ज्योतिराव फुले, राजऋषि शाहु महाराज ऐसे—ये महात्मा थे, जो सही मायनों में इन्सानियत और धर्म इन्सानियत और मजहब को सामने लाये। गुरु गोविन्द सिंह जो अपनी कुर्बानी के साथ जब मैदान में उतरे, तो उन्होंने कहा कि इन्सान इन्सान में भेद करना अधर्म है। जो धर्म इन्सान इन्सान में भेद करता है उसे नहीं मानना चाहिए। अफसोस की बात है कि अगर दक्षिण अफ्रीका के अन्दर नीग्रो पर नाइंसाफी होती हैं, तो यू० एन० ओ० के अन्दर हम आवाज उठाते हैं, रोडेशिया के खिलाफ हम नाकेबन्दी करना चाहते हैं मगर रोडेशिया जैसी हालत हमारे यहां हर जगह मौजूद है, हर गांव में मौजूद है, हर देहात में मौजूद है। फिर हमें क्या हक है रोडेशिया के खिलाफ बात करने का, हमें क्या हक है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बात करने का और यू० एन० ओ० में आवाज उठाने का हमें क्या हक है जब खुद मेरे धर्म में यह बात है और हर दिल के अन्दर शंकराचार्य है? इसलिये हिन्दू धर्म में सुधार करना जरूरी है— Charity begins at home.

लिहाजा मैं आप से गुजारिश करूंगा कि आप उन को टाइम दीजिए, हिन्दूइज्म के जो वारिसदार हैं, उन को आप टाइम दीजिए कि एक साल के अन्दर पूरे शंकराचार्यों को गिरफ्तार करो और जो किताबों के अन्दर यह अस्पृश्यता है, वर्गभेद की बात है, इस को जला दो, खत्म कर दो। जब तक आप यह नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। उनको मत छोड़ो। अगर हम एक एमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो हम को कहा जाता है कि आप को अधिकार नहीं है, आप पंडित नहीं हैं, आप शास्त्री नहीं हैं। मेरा इस में क्या गुनाह है, सदर साहब। 20 साल के बाद 21 साल की उम्र होने के बाद मुझे वोट देने का हक मिला है मगर जाति और मजहब का सवाल ऐसा अजब है कि वह सब जगह आ जाता है। मां के पेट से पैदा होते वक्त भी मेरे साथ मेरा मजहब आ जाता है, मेरी जाति लगाई जाती है। उस के सेलेक्शन का सवाल नहीं है और उसमें कोई ओप्शन का सवाल नहीं है। ऐसी अजब चीज यहां पर है। लिहाजा इस बात को तोड़ना है और हिन्दूइज्म के अन्दर जो विषमता है जो अन्याय है, उस को खत्म करना है। किताबों में चाहे जो रहे, ज्ञानेश्वरी में रहे, दास बोध में रहे, मनुस्मृति, भगवद्गीता वेदान्त में रहे या किसी और किताब में रहे, जो किताब हमें गुलाम समझती है, उस किताब को जला देना हमारा फर्ज है। यह हमें करना चाहिए और आज दुनिया की यह मांग है मगर मैं गुजारिश करूंगा कि यह करने के लिए कितने तैयार हैं? आप एक कमीशन नहीं चाहे हजार कमीशन बना दें, उन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वर्णाश्रम को दफनाये बगैर इंकलाब का परचम आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं मुसलमान बन जाता हूं तो मुझे पानी देने के लिये तैयार हैं और अगर,

धर्मान्तर कर के क्रिश्चियन बन जाता हूं तो आप मेरी मदद करते हैं लेकिन अगर मैं हिन्दू अछूत हूं, तो मेरे लिए कोई चान्स नहीं है क्योंकि मैं दलित हूं, पददलित हूं । यह कौन सा तरीका है । बाबा साहब अम्बेडकर यहां चीख चीख कर बोले, मैं हिन्दू हूं मुझे इन्सानियत दीजिए, मुझे भाई-चारा दीजिए, मैं इसी हिन्दुस्तान का हूं, मूल पुरुष आदिवासी हूं, मेरा मेरे समाज का चूसना बन्द करो और केवल कागज पर नहीं, कान्स्टीट्यूशन के अन्दर नहीं बल्कि अमल के अन्दर मेरे और मेरे समाज के साथ भाई-चारे का व्यवहार करो, मगर वैसा नहीं किया गया । उन्होंने लादे हुए हिन्दू कोड-बिल के खिलाफ आवाज उठा कर, उन पर गाली ग्लोज की गई । लिहाजा उनको धर्मान्तर करना पड़ा और उन्हों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया । उसके बाद उन की शोहरत बनी नहीं । केन्द्रीय सरकार कहते हैं कि रहना है तो हिन्दू धर्म में रहो और अगर धर्मान्तर करते हैं, तो नाकेबन्दी की जाती है जैसा कि गांवों में दलित लोगों की नाकाबन्दी की जाती है । मैं प्रधान मत्री जी से कहता हूं कि धर्मान्तर आज उन लोगों को मुआशी हालत नहीं बदली है । वे लखपति बनने के लिए धर्मान्तर नहीं किये थे । उन को आप किस बात की सजा दे रहे हो, यह मेरा आप से सवाल है । आज हिन्दू धर्म और हिन्दूइज्म के अन्दर इन्साफ नहीं है और भाईचारा नहीं हैं। आज देहात के अन्दर जिन्दा रहना मुश्किल है, शहरों के अन्दर रहना मुश्किल है । आज हरिजनों के लिए न वहां जगह है और न आसमान में जगह है । उन के लिए कहीं जगह नहीं है वे भूमिहीन निर्धन गरीब हैं । धर्मान्तर करने के बाद उन को आप मार देते हैं और उन की नाकेबन्दी कर देते हैं और उन की जो एकोनामिक कंडीशन है, वह और भी ज्यादा खराब हो जाती है । मैं आप को बताऊं कि महाराष्ट्र में एक गांव में एक पानवटा की योजना है । यह स्कीम वहां पर है । उसी तरह से गांव में एक मसनवटा भी हो, एक कब्रिस्तान भी हो । मरने के बाद जाति के नाम पर दफनाया जाता है, जो जात वही जाति वह मरने के बाद भी रहती है, मुर्दे की छाती पर वर्ण रचाया जाता है और मरने के बा भी जाति को मरने नहीं दिया जाता है, वर्ण को मरने नहीं दिया जाता है । ऐसी हमारी आदर्श संस्कृति है । इस तरह से इस जात-पात को मरघट, श्मशान भूमि पर भी कायम किया जाता है । अगर यह होता है तो हमारा फर्ज है कि इस को खत्म कर दिया जाए । हम अगर नान-ब्राह्मण हैं, तो हम को कहा जाता है कि हम ब्राह्मणों के दुश्मन हैं । यह कहना गलत बात है । हिन्दुस्तान की सियासत को अगर देखा जाए, हिन्दुस्तान के रंग को अगर देखा जाए और हिन्दुस्तान की एकोनामिक पालिसी को अगर देखा जाए, हर जगह बेरहम संस्कृति नजर आएगी । हम लोग यह कहते हैं कि इस तरह की संस्कृति गलत है ! इस में हमारा क्या इन्ट्रेस्ट है । दलित कहते हैं कि इस में हमारा स्थान कहां हैं ?

सभापति महोदय : आप रिपोर्ट के ऊपर ही बात कीजिए ।

श्री केशवराव घोंडगे : मैं बुनियादी बात कह रहा हूं । रिपोर्ट में भी यही हैं । इस को आप मानें या न मानें लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देश का कल्याण हो तो आप को अस्पृश्यता को जड़मूल से नष्ट करना होगा । अस्पृश्य जो हैं उन में भी अस्पृश्यता समाज के लोग हैं और जो स्पृश्य हैं उन के अन्दर अस्पृश्य लोग हैं । इस वास्ते यह जो अस्पृश्यता है उस को आप को समूल नष्ट करना होगा । कमिश्नर की रिपोर्ट में किसी को दो टके की नौकरी दे देने से या कुछ पैसा किसी की पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर देने से यह कलंक दूर नहीं हो सकेगा । इस के लिए सब जिम्मेदार हैं । हमदर्दी का इजहार कर देने मात्र से यह समस्या हल नहीं हो सकेगी । उन्हें इन्साफ चाहिए । सक्रिय आप को इस के लिए

[श्री केशव राव घोडगे]

करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी को आप हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखें। हरिजन कल्याण का ढोल बजाते रहने से कोई फायदा नहीं है। जो बुनियादी चीज है उस पर आप को जाना होगा। सब लोग एक समान समझे जाने चाहियें। किसी मजहब में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। यह जो उच नीच की बीमारी है मजहब में जो इस की चर्चा की गई है, उस पर आप को पाबन्दी लगानी चाहिए। इस को खत्म करने का आप को कोई रास्ता निकालना चाहिए। अगर ऐसे कोई धर्म ग्रन्थों के खिलाफ या किसी धर्म मार्तंड के खिलाफ कोई व्यक्तिगत बात कह देता है या लिख देता है तो उस के खिलाफ डिफार्मेशन का केस दायर कर दिया जाता है और उस को जेल जाना पड़ता है। इमोशनल इंटेग्रेशन की बात कही जाती है अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना नहीं लाई जा सकती है। जो हजारों सालों से मरे हुए हैं, दबे हुए हैं, पीड़ित है, और जो घोर अभाव की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं, जो मर रहे हैं उन की भावनाओं का अभी तक आपने ख्याल नहीं किया है. उन की तकदीर आप ने बनने नहीं दी है। उन के पास न जमीन है न धन है। न दौलत है। कुछ भी उन के पास नहीं है। सच बोलने से किसी की भावना दुखती है तो भावनाओं का बीमा उतारिएगा। आप तो जानते ही हैं कि बंगला देश किस तरह से बना। पश्चिमी पाकिस्तान ने नाजायज तौर पर उस का शोषण किया। वहां पर शूर लोगों ने इसका विरोध किया, दलित समाज ने आवाज उठाई, बगावत की और जो अन्याय उस के साथ हो रहा था, उस के खिलाफ झंडा बुलन्द किया और नतीजा यह हुआ कि बंगला देश बना और वह पाकिस्तान से अलग हुआ। आज हमारे दलित लोग यही समझते हैं कि जो बजट बनता है वह उन के लिए नहीं बनता है, जो स्पृश्य लोग हैं उन के लिए बनता है, पार्लियामेंट हाउस भी उन के लिए है। उन का न सभापति है, न राष्ट्रपति है। एक दो मंत्री उन के ले लिए जाते हैं। इन लोगों को पीछे की पंक्ति में रखा जाता है। आगे की पंक्ति में आने का इन को अवसर नहीं दिया जाता है। इस तरह की चीजें जब तक रखेंगे तब तक आप कमिश्नर की तकरीर कर लें कोई लाभ नहीं होगा, वक्त जाया करना होगा। इस तरह से आप उन को इंसाफ नहीं दे सकेंगे। अगर यही हालत चलती रही तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये लोग बगावत कर देंगे और मांग करने लग जायेंगे कि दलितस्थान और बौद्धस्थान उनके लिए कायम किया जाए। ऐसी मांग करने का उन को हक रहेगा। बीसवीं सदी में भी इंसान को मसावी हकूक हासिल नहीं हुए हैं। मजहब के सामने सब समान होने चाहियें। नहीं हैं तो मजहब को खत्म करो। मैं इन मेरे दलित बौद्ध भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि इन पर जो ज्यादतियां होती हैं, गांवों में होती हैं या कहीं और होती हैं उन का इन को डट कर मुकाबला करना चाहिए। मेरे गांव में भी होती हैं दूसरी जगह भी होती हैं। इन का इन को डट कर मुकाबला करना चाहिए। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि समाज के अन्दर यह मसला हल नहीं होगा उस तरह से जिस तरह से आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं, आर टी सी से हल नहीं होगा, आर्थिक दृष्टि से, इकोनोमिक लिहाजा से जो कमजोर हैं उन की आप पूरी मदद करें अगर इस में ब्राह्मण और नान-ब्राह्मण का और किसी धर्म का सवाल नहीं होना चाहिए। इन को दबाए रखने से काम नहीं चल सकता है। किसी को गुलाम आप बनाए रखें इस तरह से काम नहीं चल सकेगा। दलित समाज कहता है कि आज हिन्दुस्तान आजाद है लेकिन मैं आजाद नहीं हूं। हिन्दुस्तान को आजाद हुए तीस साल हो गए हैं लेकिन मुझे आजादी नहीं मिली है। दूसरों के लिए एमरजेंसी खत्म हो गई है मेरे लिए नहीं हुई है। इस वास्ते आपको

बुनियादी बात जो है, जो बुनियादी मसला है उसको सामने रखना होगा और धार्मिक तौर पर ये लोग आजाद हों और शंकराचार्य हों या कोई और धर्माचार्य हों, मठ हो या मंदिर हो जहां कहीं भी किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है जातपात के आधार पर उसको बन्द किया जाए। ऐसा किया जाएगा तभी सही मानों में तमाम दलित समाज को न्याय मिल सकेगा। बौद्ध समाज की सहूलियतों को भी आप को चाहिए कि आप जारी करें। यही अन्त में मैं आप से कहना चाहता हूं।

श्री युवराज (कटिहार): सभापति महोदय, आज हम यहां पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के तीन प्रतिवेदनों पर एक साथ विचार कर रहे हैं। यह ठीक है कि काफी दिनों के बाद, बहुत ही विलम्ब के बाद इन रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है और इसके बाद की दो रिपोर्टें अर्थात् 1974–75 और 1975–76 भी गृह मंत्रालय में आ गई होंगी। मैं आप से यह निवेदन करता . .

सभापति महोदय: आप आगे आ जाएं।

सभापति जी, मैं यह अर्ज कर रहा था कि आज जिस रिपोर्ट पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं वह दो रिपोर्ट्स हैं और यह 700, 800 पन्ने की रिपोर्ट्स आयीं हैं और एक ही अनुशंसा को बार-बार दोहराया गया है। अगर 21वीं रिपोर्ट समय पर पेश हो जाती तो उस पर हम विचार कर सकते थे। लेकिन एक ही साथ 5, 6 सालों की रिपोर्ट आयी है। ऐसी व्यवस्था गृह मंत्रालय को करनी चाहिए कि जब रिपोर्ट इनके यहां कमिश्नर की तरफ से पेश हो तो वह तीन महीने के भीतर जब लोक सभा अधिवेशन में हो, उसे पेश किया जाय और जो अनुशसायें या टिप्पणियां आती हैं, जितना सम्भव हो उनको कार्यान्वित करने की चेष्टा की जाय।

17 hrs.

अभी जो रिपोर्ट हमारे सामने है उसके अतिरिक्त 1974–75, 1975–76, 1976–77 की, हम यह अपेक्षा करते थे कि, जो रिपोर्ट्स आ के यहां आयी हैं उनका रूपान्तरण करके आप पेश करेंगे और जो रिपोर्ट नहीं आयी है उसको मंगाने की कोशिश करेंगे। हम जब रिपोर्ट का सिंहावलोकन करते हैं तो क्या देखते हैं कि जितने मुद्दे हैं चाहे वह शिक्षा के सम्बन्ध में हो, नौकरी के सम्बन्ध में हो, अत्याचार उत्पीड़न के सम्बन्ध में हो, उत्पीड़न के सम्बन्ध में हों, भूमि आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में हो, तमाम मुद्दों में अनुशंसायें आयी हैं, और हम यह कहने में संकोच नहीं करेंगे कि केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी पर दोष देने से हमारा काम नहीं होगा। हम जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्रीय मंत्रिमंडल इस भावना को प्रतिबिम्बित करता है कि हम लोकतन्त्र के सबसे बड़े केन्द्रीय स्वरूप हैं, लोकतंत्र के विचारों को कार्यान्वित करते हैं? आपके मंत्रि मंडल में क्या एक भी आदिवासी आ सका? आपके मंत्रिमंडल में इतने दिनों के बावजूद भी जो भी हरिजन माननीय सदस्य आये हैं निर्वाचित हो कर उनमें से क्या आपने एक भी आदमी को लिया। और हम सवाल उठाना चाहते हैं, यह बहुत ही बुनियादी सवाल है। एक बाबू जगजीवनराम जी को लिया जो राष्ट्रीय कोटि के आदमी हैं। यह ठीक है कि वह हरिजन हैं और उनके आने से हरिजन का कोटा पूरा हो जाता है। लेकिन मैं यह अपेक्षा करता था इस जनता पार्टी के केन्द्रीय मंत्रिमंडाल में एक हरिजन भी आवेगा। वह भी नहीं आया। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं हम एक सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। राजनीतिक समानता तो मिली लेकिन आर्थिक और सामाजिक असमानता के हम अभी भी शिकार हैं। और यह लोकतंत्र का जो ढांचा है अगर हम अन्तरविरोधों को दूर

[श्री युवराज]

नहीं करेंगे तो लोकतंत्र का ढांचा एक दिन गिर कर चूर चूर हो जायगा। हम 22 प्रतिशत आबादी की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जिनकी आबादी देश का पांचवां हिस्सा हो उनकी इतने दिनों तक उपेक्षा नहीं कर सकते।

आये दिन इन पर जो अत्याचार हुए हैं इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारे निर्मल चरित्र पर बेलची का कांड एक ऐसा धब्बा है जिसे धोया नहीं जा सकता है। केवल बेलची का कांड ही नहीं, भागलपुर जिले में पथड्डा नाम की जगह पर 19 जून को एक घटना घटी मिनिमम वेजेज के नाम पर कि हमें निम्नतम मजदूरी दो। सारे गांव के चमार हरिजनों को घेर कर स्कूल में ले जा कर बन्द कर दिया गया, 30 मर्द और 20 महिलाओं को पीटा। अघोरी नामक चमार और जागेश्वर घायल हो कर आज भी अस्पताल में पड़े हैं। तिलिया नामक स्त्री भी अस्पताल में पड़ी है। इससे बड़ी दर्दनाक घटना और क्या हो सकती है। आज भी धनबाद कोलियरी के बारे में जब मैंने अमैण्डमेंट पढ़ना शुरू किया, माननीय सदस्य श्री ए० के० राय के संशोधन को देखा, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है --

"regrets the denial of admission to the Central Hospital, Dhanbad, to the Harijan sweepers. ..."

कोलियरी में जो हरिजन स्वीपर नौकरी करते हैं, झाड़ू देते हैं, उनके बीमार पड़ने पर धनबाद कोलियरी के अस्पताल में उनकी भर्ती नहीं हो सकती है। क्या गृह-मंत्री जी अपने जवाब के वक्त यह बतायेंगे कि क्या उन्होंने इस संशोधन के बारे में कोई इन्क्वायरी कराई है? यदि कराई है तो उसका क्या नतीजा निकला है?

श्री ए० के० राय बिहार के चुने हुए जन-कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जिम्मेदारी से यह बात कही है। यह भी हमारे नाम पर एक कलंक है।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो फाइनेन्शियल कार्पोरेशन्ज हैं, आंध्र, आसाम, केरल, पंजाब, उत्तरप्रदेश, हरियाणा आदि में वह भी रुपये के अभाव में हरिजनों को लोन नहीं दे सकते। नेशनलाइज्ड बैंकों से भी उनको सूद की कम दर पर ऋण नहीं मिल पाता है। यही नहीं, सैंट्रल सक्टर में, स्माल स्केल डैवलपमेंट कार्पोरेशन में भी इनको नाम-मात्र का ऋण दिया जाता है। जमीनों से यह बेदखल होते हैं। मौजूदा समाज का जो ढांचा है वह मिनिमम वेजेज भी इनको नहीं देता है। मार भी ये ही खाते हैं, शिक्षा में भी कम-से-कम जगह मिलती हैं, कम से-कम लोगों को नौकरी मिलती है। तो हम जिस सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं वह अन्तर्विरोधों का है और सामाजिक व आर्थिक क्रांति हो रही हैं। समाज में तनाव पैदा होगा और आन्दोलन सशक्त बनेगा। जब तक मौजूदा समाज का ढांचा नहीं टूट जाता है, जब तक हम पूर्वाग्रहों के रोग से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक इन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय स्कूल हैं और मैडिकल कालेज हैं। केन्द्रीय स्कूलों में जो इनकी स्थिति हैं उस पर भी विचार किया जाये। 170 केन्द्रीय स्कूल हैं जिनमें 1 लाख 29 लड़के कुल मिला कर शिक्षा पाते हैं, उनमें हरिजन कितने हैं? उनमें हरिजन 2039 हैं यानी 2.38 प्रतिशत और आदिवासी 524 यानी 0.52 प्रतिशत। यह हमारी स्थिति है इस देश में केन्द्रीय विद्यालयों में और हम हरिजनों

के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं।

गांवों में जो माध्यमिक शिक्षा मिलती हैं, पैसे जाते हैं, छात्रवृत्ति जाती है, क्या वह समुचित रूप से मिल पाता है? केवल गिरि जी के दामाद को गाली देने से हमारा काम नहीं होगा, हमें इस दोषपूर्ण व्यवस्था को बदलने की जरूरत पड़ेगी। हमारे जो संस्कार बने हैं, हमें आत्म-निरीक्षण करना पड़ेगा कि हम हरिजनों और आदिवासियों के प्रति कितने ईमानदार और वफादार हैं और अपने मन में हमने पूर्वाग्रहों को कहां तक मिटाने की कोशिश की है।

इस देश में 105 मेडिकल कालेज हैं। आज भी लोकमान्य तिलक मेडिकल कालेज (मियोन, बम्बई), काकाकिया मेडिकल कालेज (वारंगल, आंध्र प्रदेश), रंगाराया मेडिकल कालेज (काकीनाडा), जमशेदपुर मेडिकल कालेज (बिहार), मेडिकल कालेज (शोलापुर, महाराष्ट्र), मेडिकल कालेज (गुलबर्गा, कर्नाटक), कस्तूरबा मेडिकल कालेज (मणिपुर), मेडिकल कालेज (देवनगरी) और मेडिकल कालेज (बेलगांव, कर्नाटक) में अनुशंसा के बावजूद हरिजनों और आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20-सूत्री कार्यक्रम का बहुत प्रचार किया जाता था, लेकिन वास्तव में क्या काम किया गया, वह इन आंकड़ों से प्रकट हो जाता हैं। 1975 में क्लास वन में कुल नियुक्तियां 3116 हुई, जिन में हरिजनों के लिए 385 सुरक्षित स्थान थे, मगर केवल 293 हरिजनों की नियुक्ति हुई, और आदिवासियों के लिए 197 स्थान सुरक्षित थे, लेकिन केवल 70 आदिवासियों की नियुक्ति हुई। क्लास टू में 5183 कुल नियुक्तियां हुई, जिन में 717 स्थान हरिजनों के लिए सुरक्षित थे, मगर केवल 550 व्यक्ति किये गये, और आदिवासियों के लिए 268 स्थान सुरक्षित थे, लेकिन केवल 72 व्यक्ति नियुक्त किये गये। तीसरी और चौथी श्रेणी की भी यही स्थिति थी।

माननीय सदस्य, श्री हुकम देव नारायण यादव, के एक प्रश्न के उत्तर में 13 जुलाई, 1977 को गवर्नमेंट की तरफ़ से बताया गया कि 1 जनवरी, 1976 तक भारत सरकार के अन्तर्गत क्लास वन के कुल कर्मचारी 37,151 थे, जिन में से हरिजन 1287 अर्थात् 3.46 प्रतिशत और आदिवासी 253 अर्थात् 0.68 प्रतिशत थे। इसी तरह उन्नति के सभी क्षेत्रों में ये लोग काफ़ी पीछे छूट गये हैं।

आज हमारे देश में गांवों की टोटल पापुलेशन में से 70 फ़ीसदी लोग खेती करते हैं, जिन में 40 फ़ीसदी भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, और उन में से 30 हरिजन और आदिवासी हैं।

मैं मानता हूं कि तीन महीने में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मैं यह भी मानता हूं कि तीन महीने में हम अपने कानूनों को पूरी तरह इम्लीमेंट भी नहीं करा सकते, क्योंकि वही ब्यूरोक्रेसी हैं। लेकिन नीति में तो हम परिवर्तन कर सकते थे। केवल नौकरशाहों को गाली दे कर हम जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। किसी ने ठीक कहा हैं कि पाप तो हम करते हैं, और दूसरों पर थोपते हैं। हमारे आचरण और संस्कार कितनी दूर तक इन उपेक्षित लोगों को अपनाने के लिए तैयार हो सके हैं, यही बुनियादी प्रश्न हैं।

आज केवल दो या तीन प्रतिशत हरिजन-आदिवासियों के पास जमीन हैं।

[श्री युवराज]

इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि ऐसा कानून बनाया जाये कि तीन एकड़ तक जमीन रखने वाले हरिजन-आदिवासियों की जमीन की बिक्री नहीं होगी। इस के अतिरिक्त उन्हें जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन दिये जायें। ऐसा न हो कि व महाजन के चंगुल में फंस जायें। पिछले वर्ष बहुत से बंधुआ मजदूरों की मुक्ति का आन्दोलन छेड़ा गया था और सरकार ने कुछ आंकड़े पेश किये थे। (व्यवधान) मेरा तो संशोधन था। आपने मुझे वक्त देकर बड़ी कृपा की। मैं जल्द ही अपनी बात खत्म करूंगा। केवल तकरीर देने के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ हूं। मेरी जो आहत भावना है वह व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज जरूरत इस बात की है कि हरिजनों और आदिवासियों में जो आत्मविश्वास है उसे जागृत किया जाये और जो चोट खाया हुआ स्वाभिमान है उसे जगाया जाये। जब तक उसका स्वाभिमान और आत्मविश्वास नहीं जगेगा तब तक हम यहां केवल चर्चा कर संतोष की सांस ले सकते हैं लेकिन उनको राहत नहीं दिला सकते।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारा लैंड रिफार्म कानून है उसके लिए हम अपने मुख्य मंत्रियों से कहें कि जो मौजूदा कानून है उसमें तरमीम करें। अगर 10 प्रतिशत भूमिहीन हरिजनों को जमीन दे सकते है तो उसे देने के साथ उसकी सुरक्षा की गारंटी लेनी होगी। जो आपके बैंक्स हैं उन्हें उनको ऋण देने के लिए तैयार करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो रिजर्वेशन हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। उसके प्रतिशत में वृद्धि करने की जरूरत पड़ेगी और साथ साथ जो हमारी संस्थायें हैं, चाहे कांग्रेस की हों चाहे जनता पार्टी की हों, उनके द्वारा एक सामाजिक आन्दोलन के रूप हरिजन और आदिवासियों के लिए, जो कि निर्बल हैं, एक सतत चेतना जागृत करने की जरूरत पड़ेगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि जिन बुनियादी सवालों की तरफ मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है अपने उत्तर में उन तमाम बातों को आप मद्देनजर रखेंगे और सारी बातों को स्पष्ट तौर से सभा में कहने की कोशिश करेंगे जिससे हिन्दुस्तान की जनता को इन बातों का पता लगे कि जनता सरकार के मंत्रिमण्डल की एक स्पष्ट नीति और एक स्पष्ट दृष्टि है।

श्री मंगल देव (अकबरपुर) : सभापति महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई, सात वर्षों के बाद यह रिपोर्ट आई और वर्तमान सरकार के मंत्री भी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने एक पहल की जिस से यह रिपोर्ट सदन के सामने चर्चा का विषय बन गई। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जिन विषयों की तरफ माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है मैं कोशिश करूंगा कि उन को दोहराना न पड़े। यह रिपोर्ट आई, इस में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हैं, उस में जाने से कोई लाभ नहीं। इन चार प्रतियों की रिपोर्ट में सारी समस्यायें नहीं लिखी जा सकती और लिखने और जांच करने का एक बहुत दिनों का तरीका बना हुआ है। यह मोटी रिपोर्ट आ जाती है। प्रारम्भ में अभी किसी माननीय सदस्य ने सवाल उठाया था कि रिपोर्ट तो आई, रिपोर्ट टेबल पर पेश हुई लेकिन उस के बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है उसके बारे में दो पन्ने की सूचना भी नहीं आई। इस से क्या बात समझ में आती है ? इरादा पर हमला करने का मन करता है, नीयत ठीक नहीं है। बहस यहां पिछले सदनों में होती रही हैं। देश की विधान सभाओं में बहस होती है। छोटी मोटी रिपोर्ट

आती है। लोग इन वर्गों की चिन्ता में कुछ भाषण करते हैं लेकिन मामला टस से मस नहीं होता। समाज इतना संस्कार-ग्रस्त हो गया है कि कानून बनाने में पहली चोरी होती है। उसमें छेद छोड़ दिया जाता है, भागने की फुर्सत रहती है और नौकर-शाही के हाथों में कार्यन्वयन के लिए दे दिया जाता है। छुआछूत के मामले का फैसला वह मजिस्ट्रेट करेगा जो पूर्व संस्कारग्रस्त है और गांव में जिसके यहां छूआछूत मानी जाती है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी आर्य समाजी हैं, मुझे प्रसन्नता होती है कि उन्होंने अपने तरीके से छुआ-छूत के बारे में कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। जहां तक छूआछूत का सवाल है, इस देश का हर पांचवां आदमी अछूत कहा जाता है और उस आदमी को यह समाज राजपाट, धन दौलत, नौकरी या रोजी रोटी नहीं देना चाहता क्योंकि वह उसको आदमी नहीं समझता, उसको वह छोटा समझता है, हीन समझता है और ईश्वर तथा भाग्य के भरोसे उसको छोड़ देता है। मेरी राय यह है कि अगर इस देश में जनतंत्र नहीं होता, वोट का मसला नहीं होता और घर घर जाने की आवश्यकता नहीं होती तो यह सवाल ही पैदा नहीं होता और न यहां पर हम लोगों को कोई चर्चा करने का अवसर ही प्राप्त होता। अगर सरकार गांवों में कुवें बन-वाती है तो सावन भादों के महीने में बन-वाती है जिसका नतीजा यह होता है कि सारा बजट का पसा खा लिया जाता है। तो जिस देश में पीने के लिए पानी की व्यवस्था न हो, चारपाई पर बैठना मना हो, गिलास-लोटे का मामला हो वहां पर गरीबों की आर्थिक हालत, सामाजिक और शैक्षिक हालत का विकास होना सम्भव नहीं है।

पुलिस के बारे में श्री रामानन्द जी ने एक दिन कहा था कि पुलिस की सुविधायें कम हैं, वह उनको मिलनी चाहिए, मैं उनसे सहमत हूं लेकिन पुलिस के अत्याचार गरीब वर्गों पर और अनुसूचित जातियों पर वैसे ही होते हैं जेसे गांवों में जमीदार गरीब आदमियों पर अत्याचार करता है। वहां पर जिस प्रकार का उनका व्यवहार रहता है वैसा ही व्यवहार आज पुलिस भी इन लोगों पर करती है। पुलिस और दूसरे मुहकमों को सरकार कैसे सुधारती है उसमें मैं जाना नहीं चाहता। रिपोर्ट में अत्याचारों की चर्चा की गई है। बार बार रिपोर्टें आती हैं और उसमें अत्याचारों की चर्चा की जाती है और कहा जाता है कि समाज ठीक नहीं है। अत्याचारों की चर्चा करने से तो काम चलेगा नहीं। अत्याचार हो रहे हैं, यह गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट और सारा देश उसके लिए जिम्मेदार है। मैं बेलच्री काण्ड की चर्चा नहीं करना चाहता, वह काण्ड हो चुका है। दक्षिण भारत में 43 आदमी जला कर मार डाले गए, उसकी भी मैं चर्चा नहीं करता लेकिन न्यायालयों के जजों की न्यायप्रियता पर मुझे शक करने का हक है। हाईकोर्ट का जज 22 मुल्जिमों को यह कह कर छोड़ देता है कि जमीदारों के पास इतने नौकर हैं कि वह खुद झोपड़ी जलाने नहीं जायेगा। दूसरा तर्क यह दिया कि जब वे घर जला रहे थे तब वे नहीं जानते थे कि उन झोपड़ियों में आदमी भी हैं। इस पर उन गरीबों के वकील ने कहा कि आप यह भी मान लीजिए कि जलने वालों का भागने का इरादा नहीं था। वे इस प्रकार की हमारी हाई कोर्ट और न्यायमूर्तियां हैं। वे सैकड़ों पीढ़ियों से संस्कारग्रस्त हैं। केवल वहां बैठने से, ज्यादा डिग्रियां लेने से या अच्छे कपड़े पहनने से यह सब होने वाला नहीं है। इसके लिए तो कोई जबरदस्त तब्दीली लाने की जरूरत होगी।

हत्याओं के बारे में मैं सारे देश के आंकड़े तो नहीं जानता लेकिन उत्तर प्रदेश के

[श्री मंगल देव]

बारे में जानता हूं और उसकी तरफ चौधरी साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यद्यपि उन्होंने रिपोर्ट को पढ़ा होगा और वे मुझ से ज्यादा जानते होंगे। उत्तर प्रदेश में पहली जनवरी, 1974 से 30 जून, 1974 तक 60 हरिजनों के कत्ल हुए-- यह सरकारी रिपोर्ट में दिया है। इसीलिए मैंने इसकी चर्चा करदी। यह घटनायें कैसे हो रही हैं? वाराणसी में बेहड़ा काण्ड हड़ौरा काण्ड और गाजीपुर में शेरपुर काण्ड हुए। शेरपुर काण्ड में एक बिरादरी विशेष के आदमियों ने जुलूस निकाला और नारा लगाया—जिला प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन जिन्दाबाद। पुलिस कप्तान ब्राह्मण था तो सभी भूमिहरों ने जुलूस निकाले और भूमिहरों की भीड़ ने 26-27 हरिजन घरों के गांव को जला डाला था। पुलिस सुरक्षा में ढिलाई की थी। जिलाधीश हरिजन था और उसने उचित कार्रवाई करने की कोशिश की थी। इसलिए मुर्दाबाद कहा गया। और जान से मार डाला था, सम्पत्ति का नाश हुआ था। मैं इस बात से सहमत हूं कि चौधरी साहब इस के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, सारा देश--इस के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब जब ऐसी बातें होती हैं—तो जनता पार्टी की जिम्मेदारी रोज़-ब-रोज बढ़ती जाती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न के बारे में इन अदालतों पुलिसवालों या सरकारी अफसरों के बारे में हम लोगों को बड़ा भ्रम है। वे लोग बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, टाई बांधते हैं, गिटिर-पिटिर बोलते हैं—हमारे डा० लोहिया साहब इस को गलालंगोट कहते थे —इन आइ० ए० एस० और आइ० पी० एस० अफसरों के कामों को देखें तो इन लोगों ने उन गरीबों के साथ जो अन्याय किया है, उस के लिए ये माफ़ करने लायक नहीं हैं। श्रीमन्, जनता के स्नेह से मुझे जनता में काम करने का मौका मिला है और मैंने देखा है कि उनका चरित्र अभी तक नहीं बदला है। वे तनख्वाह के लिए काम करते हैं, खूबसूरती से बच निकलने की सारी तरकीबें उन के पास हैं, उन का पोथा मजबूत है। वे देखते हैं कि हमारा एम०पी० कौन है, हमारा मंत्री किस जाति का है— उस को अपना बना कर चलने को कोशिश करते हैं।

मैं चौधरी साहब से एक निवेदन करना चाहता हूं—वे अपने कानून में कुछ परिवर्तन करें। हमारे यहां जो मुस्लिम मेहतर हैं, उन को हिन्दू मेहतरों के मुकाबले कम सुविधायें मिलती हैं। उन का कहना है कि हम भी उसी जिन्दगी में रहते हैं, जिस में हिन्दू मेहतर रहते हैं, हमारे बच्चे भी उसी ज़िन्दगी में रहते हैं, फिर हम को भी वे सुविधायें क्यों नहीं मिलती जो हिन्दू मेहतर को मिलती हैं। उन को भी उसी तरह से पानी की, आवास की, शिक्षा की और सुरक्षा की सुविधायें मिलनी चाहिए।

हमारे कई मित्रों ने नवबुद्धों के बारे में ज़िक्र किया। मैं उस को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं उन से सहमत हूं— उनको भी सभी सुविधायें मिलनी चाहिए। उन के आर्थिक और शैक्षणिक प्रश्नों को हल किया जाना चाहिए। लेकिन यहां मेरी यह भी निश्चित राय है कि कोई भी जाति हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो—कोई भी हो, यदि किसी का लड़का गरीबी की वजह से न पढ़ पाता हो, तो हमें जातिवाद से ऊंचा उठ कर उन की मदद करनी चाहिए।

यहां चौधरी साहब से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं—अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के छात्रों को दसवें दर्जे तक स्कालरशिप अनिवार्य कर दिया

जाय, अभी यह अनिवार्य नहीं है। मैं और ऊपर की बात नहीं कहता, आप के बजट पर भार नहीं डालना चाहता, लेकिन दसवें दर्जे तक इसको अनिवार्य कर देने से उन को बहुत सुविधा हो सकती है। दसवें दर्जे का सर्टिफिकेट ले कर वे कहीं भी जा कर काम ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस में आप थोड़ी उदारता बरतने की कृपा करेंगे।

हरिजन सेवक संघ, दलित वर्ग संघ आदि जो संस्थायें हैं, माफ़ कीजिये—ये जितनी संस्थायें हैं, सब पार्टी का प्रचार करने के लिए है। लाखों रुपया इन संस्थाओं को सरकार की तरफ से दिया गया, लेकिन दलित वर्ग को इन मे कोई लाभ नहीं पहुंचा। यदि आप इन के खिलाफ़ जांच करायें तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से गरीबों से वाउचर दस्तखत करा कर उन का सारा रुपया खा लिया जाता था। मैं उत्तर प्रदेश के बारे मे जिम्मेदारी से कह सकता हूं—और हम से कोई सलाह ले तो सैकड़ों लोगों का चालान हो सकता हैं जो इन गरीब बच्चों का दूध, चावल, कपड़ा, चुरा लेते हैं और उन से वाउचर साइन करा लेते हैं, और अधिकांश पैसा खा जाते हैं।

खेत मजदूरों के रोजगार के बारे में कल हमारे बहुत से मित्रों ने चर्चा की। हमारे प्रधान मंत्री जी ने जवाब देने में बहुत जल्दबाज़ी नहीं की, उन्होंने 10 वर्ष की बात कही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं—आज कितने घरों में उपवास होता है, इस के कोई आंकड़े नहीं हैं। अब पहले जैसा राज्य तो है नहीं, जब राजा स्वयं घूम कर देखता था कि कहां कौन तड़प रहा है, कौन बीमार है, कहां उपवास हो रहा हैं। आज का राजा तो पटवारी, तहसीलदार और डिप्टी कलैक्टर की आंखों से देखता है जिन की आंखें फूटी हुई हैं, इस तरह की समस्याओं के लिए ठीक रिपोर्ट नहीं आती है। आज खेत मजदूरों की जो हालत है.....

MR. CHAIRMAN : You can continue tomarrow.

17.29 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

Working of Vijaya Bank

MR. CHAIRAMN : I Call Shri Lakkappa for the Half-an-hour discussion.

SHRI K. MALLANNA (Chitradurga) : Rule 55, sub-clause (3) states that the Speaker shall decide whether the matter is of sufficient public importance to be put down for discussion, and may not admit a notice which, in his opinion, seeks to revise the policy of Government.

Sir, it is neither a matter of public interest nor of sufficient importance. It is only an individual interest. The main question arises from.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Order, order. Please sit down. This has already been admitted and it is put down for discussion to-day. I cannot sit in judgement ....(*Interruptions*)

SHRI K. MALLANNA : It can be raised at any stage.

MR. CHAIRMAN : Will vou kindly sit down now ? It has already been admitted by the Speaker. Now, I cannot sit in judgment over his ruling. That is beyond my powers. The discussion will continue.

SHRI K. MALLANNA : Sir, the point of order can be raised at any stage.

MR. CHAIRMAN : There is no point of order. Will you kindly sit down ? Whatever you say cannot be taken down unless you explain to me as to what is your point.

SHRI K. MALLANNA : Sir, I will read out the unstarred question 4576....

MR. CHAIRMAN : What are you driving at ? Will you Kindly let me know that ?